खण्ड-147, अंक-2
मंगलवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(21 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 147 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मा.ईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कम ल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री

कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम , श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री.

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, थी
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां , श्री (रामपुर)
अहमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगावार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में बिजली कम्पनी का चालू होना

*३--श्री श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)--क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में जो बिजली कम्पनी काम कर रही है वह जनता को प्रकाश और कारखानों के लिये कब से कनेक्शन देने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--कोई खास तारीख नहीं बतायी जा सकती। बिजली उस वक्त दी जा सकेगी जब कि बिजली कम्पनी सप्लाई शुरू करने के लिये जरूरी शर्तों को पूरा कर देगी।

*४-५--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हाथरस तहसील में कृषि तथा कुटीर उद्योगों के लिये बिजली

*६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस के देहातों में कृषि तथा कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये बिजली देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक मिल सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। बिजली करीब मई, १९५५ तक मिल सकेगी।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बिजली को किन किन उपयोगों के लिये दिया जायगा ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---इस वक्त तक तो जो मुमानियत रही है वह तो है चक्कियों की, कोल्हू की, राइस हलर की, आइस कैंडिल की, इन चीजों की मगर अब इसको रिवाइज किया जा रहा है, एकाध महीने के बाद फैसला होगा। मैं कह नहीं सकता कि इनकी क्या पोजीशन उसमें होगी। बाक़ी और सब के लिये तो खुला हुआ था।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में कितने किलोवाट बिजली अधिक तैयार हो सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---४१ हजार किलोवाट बिजली तो मिल रही है शारदा पावर स्टेशन से और १३ हजार कुछ सौ किलोवाट मिल रही है पथरी से।

उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सरकार के बीच यमुना के पानी के बटवारे का समझौता

*७---**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच जमुना के पानी के बटवारे में कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---उत्तर प्रदेश की पूर्वी जमुना नहर तथा पंजाब की पश्चिमी जमुना नहर में ताजेवाला स्थान पर यमुना नदी के पानी के वितरण के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से १२-३-५४ को एक इकरारनामा (agreement) किया गया है। यह इकरारनामा १-४-५० से लागू है। इसके अन्तर्गत यमुना के पानी का जो बटवारा किया गया है उस का ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३८ पर।)

*८---**श्री श्रीचन्द्र**---क्या यमुना नहर में मोहड (head) में कुछ कमी (defect) है ? यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इसमें कुल कितनी लागत लगने का तखमीना है ?

श्री राममूर्ति---पूर्वी यमुना नहर के निकास स्थान (head) में कोई विशेष खराबी नहीं है। शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में यमुना नदी की गहरी धारा के कारण, पूर्वी यमुना नहर के निकास स्थान तथा रेगुलेटर की स्थिति अच्छी नहीं है। इनको कुछ दूर ऊपर की ओर हटाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १-४-५० और १२-३-५४ में जो समझौते हुए थे उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

श्री राममूर्ति---उनकी मुख्य-मुख्य बातें यह हैं कि अगर नदी में ५८९० क्यूसेक्स तक पानी रहेगा तो हमारे लिये १।३ पानी मिलेगा और ४७ क्यूसेक्स और ज्यादा मिलेगा और ५८९० से ८७९० क्यूसेक्स तक अगर पानी रहेगा तो हमको केवल २०१० क्यूसेक्स पानी मिलेगा और ८७९० से ९२८० तक रहेगतो। हमको २५०० क्यूसेक्स तक पानी मिलेगा और ९२८० से १०९०० क्यूसेक्स तक पानी रहेगा तो हमारे लिये २५ सौ क्यूसेक्सक - पानी मिलेगा और इससे जब ज्यादा होगा तो फिर उनको दो-तिहाई मिलेगा और हमको एक-तिहाई मिलेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि हमारी यमुना नहर का बांध कच्चा है और पंजाब की नहर का बांध पक्का है ?

श्री राममूर्ति---हमारा हेडवर्क्स भी पक्का बना हुआ है। सिर्फ़ इतनी बात है कि पानी लेने के लिये हमको वेन बनानी पड़ती है बरसात के बाद। इसलिये हमारा एक्सपेरीमेंट चल रहा है कि हम उसको आगे चल कर किस तरह से बनायें।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---इधर पानी की आवश्यकता को अधिक देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस समझौते में पुनः रिवीज़न कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दो हिस्सा पंजाब को मिले और एक हिस्सा हमको मिले, इसमें रिवीज़न हो ?

श्री राममूर्ति---हमारी गवर्नमेंट की बराबर यह कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा पानी हम लें। और जब से भाखरा-नांगल नहर खुली है तब से हम बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि उनको पानी कम मिले और हमको ज्यादा मिले। लेकिन अभी तक कोई निश्चित बात तय नहीं हुई है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर का निकास-स्थान और रेगुलेटर कब तक ठीक कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति---मैंने बतलाया कि बहादराबाद के रिसर्च स्टेशन में इसके बारे में एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मौजूदा समझौता हुआ है इससे पहले जो पंजाब सरकार से हमारा समझौता था उससे पानी में वृद्धि हुई है या पानी कम हुआ है ?

श्री राममूर्ति---पानी में बहुत वृद्धि हुई है और वह समझौता हमारे हक में हुआ है।

श्री हरदयाल सिंह पियल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समझौते के रिवीज़न में पत्र-व्यवहार माननीय मंत्री सेन्ट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं या डाइरेक्ट कर रहे हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---यह समझौता १९५० में हो चुका है। अब इस वक्त कोई समझौता नहीं हुआ है और न अब कोई पत्र-व्यवहार की गुंजाइश ही हो सकती है।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में कृषि तथा उद्योग प्रोत्साहन के लिये बिजली की आवश्यकता

*९---**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)---क्या सरकार तहसील बांसी जिला बस्ती के उत्तरी भाग में कृषि तथा उद्योग को प्रोत्साहित और उन्नत करने के लिये बिजली देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र के लिये कब तक बिजली की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मैं अर्ज नहीं कर सकता कि कब तक वहां पर ऐसा हो सकेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला रिह्न्ड बांध की योजना के अन्तर्गत है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, है ।

*१०—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*११-१३—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[११ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत सहायता

*१६—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९-५० व १९५०-५१ में फर्रुखाबाद जिले में सिंचाई से संबंधित पक्के कुओं की योजना में जिसमें एक-तिहाई रकम सरकार देती थी, क्रमशः कितनी धनराशि दी गयी थी ? उसमें कितने कुएं बने और बनाने वालों को कितना-कितना धन सरकार से मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत १९४९-५० व १९५०-५१ में जिलेवार कोई सहायता की धनराशि निर्धारित नहीं की गयी थी । परन्तु उक्त योजना के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद में सन् १९४९-५० में ६८ कुएं और सन् १९५०-५१ में २०३ कुएं निर्माण हुए । सन् १९४९-५० में ३१,१३३ रु० ३ आने और सन् १९५०-५१ में ९३,००९ रु० १२ आने की छूट (Subsidy) दी गयी ?

*१७—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इस योजना में कुछ कुआं बनाने वालों को फर्रुखाबाद जिले में सहायता का रुपया नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त योजना के अधीन १९४९-५० व १९५०-५१ में कुल ६७७ कुओं के लिये निर्माण सामग्री दी गयी । अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनमें से ४२२ कुएं बन चुके हैं और उन पर सब्सिडी दी जा चुकी है । शेष २५६ कुओं पर निरीक्षण न होने के कारण अभी तक सब्सिडी नहीं दी जा सकी ।

बांधों के उद्घाटन पर व्यय

*१८—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश में किन-किन बांधों (Dams) के उद्घाटन हुए हैं ?

श्री रामसूरत—सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ ई० में उत्तर प्रदेश में निम्न-लिखित बांधों के उद्घाटन हुए :

१९५२—५३

१—ललितपुर बांध

२—सपरार बांध

३—कबरई बांध

४—बरोधा बांध

१९५३-५४

१—रंगवां बांध

*१९--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस बांध (Dam) के उद्घाटन में कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति--इन बांधों के उद्घाटन पर जो धन व्यय हुआ, उसका ब्योरा निम्नांकित है :--

१--ललितपुर बांध	७,६९९	रु०
२--सपरार बांध	८,७२३	रु०
३--कबरई बांध	३,५२५	रु०
४--बरौंधा बांध	१४,६७०	रु०
५--रंगवां बांध	९,५००	रु०

*२०--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन बांधों (Dams) के उद्घाटन के विज्ञापन (advertisement) में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--बरौंधा बांध के अतिरिक्त उपर्युक्त किसी भी बांध के उद्घाटन के विज्ञापन पर कोई व्यय नहीं हुआ। बरौधा बाध तथा सिरसी बांध और बेलन टौंस नहर के विज्ञापन पर सम्मिलित रूप से कुल ९०३४ रुपये ८ आने व्यय हुआ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह जो टोटल खर्च का एडवरटाइजमेंट का दिया गया है इसको अलग-अलग बतलाने की कृपा करेंगे कि किस बांध पर कितना खर्चा हुआ है ?

श्री राममूर्ति--इन तीनों बांधों पर जो खर्चा हुआ है वह ९ हजार ३४ रुपया है।

श्री अध्यक्ष--वह अलग-अलग जानना चाहते हैं।

श्री राममूर्ति--अलग-अलग मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो उद्घाटन हुए हैं वह किन-किन मंत्रियों के द्वारा हुए हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--ललितपुर बांध माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा, सपरार बांध माननीय गृह मंत्री के द्वारा, कबरई बांध वित्त मंत्री के द्वारा, बरौंधा बांध सिंचाई मंत्री के द्वारा, रंगवा बांध माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा उद्घाटित हुए हैं। यह सब समाचार अखबारों में निकल चुका है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १९५४-५५ में किन का उद्घाटन हुआ या होने वाला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी हुआ तो नहीं है। समय नहीं मिला। यद्यपि हमारे दो बांध तैयार हैं अहरौरा और हमीरपुर का अर्जुन बांध और इन दोनों का उद्घाटन नहीं हुआ है। मुमकिन है कि दिसम्बर में न हो तो जनवरी में कर डालें। यद्यपि वह दोनों बिलकुल तैयार हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बांधों के ऐडवर्टिजमेंट की क्या आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, कोई भी वह काम जो पब्लिक के हित के लिये किया जाता है, हमारा फर्ज है कि डेमोक्रेटिक गवनमेंट में लोगों को बतायें ताकि लोग जानें कि स्टेट में क्या हो रहा है और समझ सकें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐडवर्टिजमेंट की इस पब्लिक यूटिलिटी को देखते हुए क्या भविष्य में भी इस मद में खर्च करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--आगे बढ़ कर तो और ज्यादा खर्च किया जायगा ताकि प्रकाशन और ज्यादा हो ।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खर्च किया गया है किस मद से किया गया और क्या मंत्रियों के सफर का खर्च भी उसमें शामिल है ?

श्री राममूर्ति--यह जो खर्च इसमें किये गये हैं यह जो बांध में खर्च हुआ उसमें यह शामिल कर दिया गया है । जहां तक मंत्रियों का खर्च है, आप देखते ही हैं कि जब कभी वह आते जाते हैं तो उनको स्टेट की तरफ से आने-जाने का खर्च होता है ।

पुर्वी यमुना नहर से बचत

*२१--**श्री श्रीचन्द्र**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को पूर्वी यमुना नहर से १३५९ फसली में क्या बचत हुई ?

श्री राममूर्ति--पूर्वी यमुना नहर से १३५९ फसली (१९५१-५२) में सरकार को ४२,९०,३११ रुपये की बचत हुई ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह बचत कुल खर्चे को काट कर है या किसी और प्रकार से ?

श्री राममूर्ति--यह तो साहब बचत है ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नहर का कुल सिंचाई-कर कितना था ?

श्री राममूर्ति--इसकी आमदनी ६० लाख ५६ हजार ६ सौ ५३ रुपया इससे वसूल हुआ ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस वर्ष जो व्यय हुआ है इस सम्बन्ध में उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--इसमें २ लाख २३ हजार ८ सौ ४६ रुपया ब्याज में देना हुआ ।

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहूंगा कि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह ५९ फसली का सवाल है और मैं समझता हूं कि आजकल ६१ या ६२ फसली होगी । तो इस वर्ष का आप पूछ रहे हैं ?

श्री जोरावर वर्मा--मैंने उसी वर्ष का पूछा ।

श्री राममूर्ति--ब्याज मैंने बताया कि २ लाख २३ हजार ८ सौ ४६ रुपया और रख-रखाव का खर्चा १५ लाख ४२ हजार ४ सौ ९६ रुपया ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ब्याज कौन सी रकम के ऊपर दिया गया, वह काहे के लिये इस्तेमाल हुई है ?

श्री राममूर्ति--ब्याज जो कैपिटल है उसके ऊपर दिया जाता है ।

*२२--**श्री नत्थू सिंह** (जिला बरेली)--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३-२४--**श्री जगन्नाथ बख्श दास** (जिला बाराबंकी)--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

विधायक निवासों के प्रबन्ध के संबंध में नियुक्तियां

*२५—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवासों के इंतजाम के सम्बन्ध में सरकार ने कौन-कौन नियुक्तियां कितनी संख्या में की हैं और उनमें कितनी स्थायी और कितनी अस्थायी ह ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विधायक निवास में इंतजाम के सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं :—

	स्थायी	अस्थायी	कुल जोड़
सुपीरियर	४	४	८
निम्नश्रेणी	६३	४७	११०
योग	६७	५१	११८

कर्मचारियों का ब्योरा नत्थी किये हुए नक्शे में है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३९ पर ।)

*२६-२७—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में बिजली की आवश्यकता

*२९—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में सरकार द्वारा बिजली पहुंचाने का आयोजन किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

*३०—श्री बाबू नन्दन—यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल ही नहीं उठता ।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला आजमगढ़ में मऊ पावर स्टेशन से बिजली पहुंचाने का आयोजन किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, सही है ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आयोजन कब तक हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह मार्च सन् ५६ तक हो जायगा ।

*३१—श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—[५ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इलाहाबाद में गंगा स्नान-मार्ग में ताड़ी और शराब की दूकानें

*३२—श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि शहर इलाहाबाद में कई दुकानें शराब-ताड़ी की ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जो गंगा स्नान करने वाले यात्रियों के रास्ते में पड़ती हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--गंगा स्नान करने वाले यात्रियों के जाने के इलाहाबाद में बहुत से रास्ते हैं। लेकिन एक शराब की दूकान जो दारागंज में है और एक ताड़ी की दूकान जो सोबतिया बाग में है उनके मुतालिक यह कहा जा सकता है कि ये रास्ते में पड़ती हैं।

इलाहाबाद के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*३३--**श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले ३ वर्षों में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट इलाहाबाद से हटाये गये ? और क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--इन तीन वर्षों में किसी भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात वापस नहीं लिये गये।

सिराथू-मंझनपुर निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति

*३४--**श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि सिराथू-मंझनपुर क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य का स्थान कितने समय से खाली है ?

श्री सैयद अली जहीर--सुप्रीम कोर्ट ने उप-निर्वाचन स्थगित करने वाली अपनी आज्ञा को दिनांक १३ दिसम्बर, १९५४ ई० को रद्द कर दिया। उक्त निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक १९ दिसम्बर, सन् १९५४ ई० को मत लिया गया।

*३५-३६--**श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट** (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[स्थगित किये गये।]

*३७-३८--**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जिलों को बिजली देने की योजना

*३९--**श्री सत्यसिंह राणा** (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिये छोटी-छोटी बिजली योजनाओं के हेतु कितनी धनराशि निश्चित थी और वह योजना कहां-कहां कितनी लागत से कार्यान्वित हुई या हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिये छोटी-छोटी बिजली योजनाओं के लिये पहली पंचवर्षीय योजना में २० लाख रुपये का आयोजन है। इस योजना के अन्दर सबसे तक जिला अल्मोड़ा में बागेश्वर कस्बे को बिजली देने की योजना, जिसका एस्टीमेट २.५९ लाख रुपया है, चालू की गयी है।

श्री सत्य सिंह राणा--क्या कारण है कि अल्मोड़े के अलावा अन्य पर्वतीय जिलों में यह योजना कार्यान्वित नहीं की गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--की तो गयी है। गढ़वाल जिले में कई जगह सर्वे कराया गया है कि वहां किस जगह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक तैयार हो सकती है। नैनीताल और रानीखेत को भी बिजली जाने वाली है। मुख्तलिफ जगहों का इंतजाम है तो इसमें।

श्री सत्य सिंह राणा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सम्बन्ध में कोई सर्वे जिला टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल में कराया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पार्टिकुलरली टेहरी की बाबत तो मैं नहीं कह सकता, टेहरी अभी आया है लेकिन गढ़वाल का जो जिला है उसमें सर्वे कराया गया है। यह तो मैं पहले भी हाउस में बतला चुका हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस २० लाख की पंचवर्षीय योजना में ढाई लाख की बागेश्वर की योजना के अलावा और कौन सी योजनायें शामिल हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम--इसकी फेहरिस्त तो इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

*४०--**श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)--[११ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१--**श्री रामकुमार शास्त्री**--[२० दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

आजमगढ़ जिले में रतोई ताल पम्प नहर के निर्माण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*४२--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--२४-८-५४ के ५ वें प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतोई ताल पम्प नहर (जिला-आजमगढ़) के निर्माण के विरुद्ध वहां के किसानों ने तार और प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--जी हां, रतोई ताल नहर के विरुद्ध कुछ किसानों ने प्रार्थना-पत्र व तार भेजा था । उस समय तक नहर ३ मील तक बन चुकी थी । किसानों का विरोध विशेषत: सर्विस रोड के लिये था जिसे बन्द कर दिया गया और बनी हुई सर्विस रोड भी छोड़ दी गयी । नहर भी और आगे नहीं खोदी गयी ।

*४३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सम्प्रति रतोई ताल (जिला आजमगढ़) में बोरो धान की खेती से लगभग ५० हजार मन धान उत्पन्न होता है और इस पम्प नहर से पानी की कमी हो जाने के कारण बोरो धान के उत्पादन में कमी होगी ?

श्री राममूर्ति--इस नहर के कारण रतोई ताल के पानी की गहराई केवल १८ इंच घटेगी और बोरो धान को कोई हानि नहीं पहुंचेगी ।

*४४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री "हाहा नदी' के मुख द्वार घाघरा' में पम्प द्वारा रतोई ताल में इतना पानी देने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि बोरो धान के अतिरिक्त नहर द्वारा इस क्षेत्र की ईख की खेती भी सींची जा सके ?

श्री राममूर्ति--हाहा नाला पर निकट भविष्य में एक बांध व रेगुलेटर बनाये जाने की योजना है, जिससे रतोई ताल में और अधिक पानी रोका जा सकेगा जो कि बोरो धान तथा ईख के लिये काफी होगा । रेगुलेटर के कारण बाढ़ का पानी भी नहीं आयेगा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह नहर अब आगे नहीं खोदी जायगी ?

श्री राममूर्ति--नहर तो खोदी जायगी लेकिन आप तो नहीं खोदने देते ।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि सरकार के पास उधर के किसानों के आवेदन-पत्र आये हैं कि यह नहर और आगे बढ़ायी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, बहुत से आवेदन-पत्र आये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि जहां यह नहर बन रही है वहां की आबादी बहुत घनी है और किसानों की मांग है कि नहर के बदले नलकूप बनाये जायं ?

श्री राममूर्ति --सारे आजमगढ़ जिले की आबादी बहुत घनी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि रतोई ताल के पानी के निकास के कारण वहां हजारों मन मछली हरसाल मिलने वाली बन्द हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—अच्छा ही है, अहिंसा का काम होगा ।

श्री जोरावर वर्मा—जो अर्जियां नहर के बढ़ाने के लिये आयीं उन पर क्या विचार हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहर बढ़ाने का विचार है लेकिन दोहरी से भी एक नहर निकल रही है । रतोई से जो क्षेत्र सींचा जाता है उसमें से दोहरी की नहर भी जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—हाहा नदी के पानी के लिये क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फ्लड प्राटैक्शन की स्कीम में यह मंजूर हो गया है और और मेरा ख्याल है कि बरसात के पहले उस बारे में काम होगा ।

मुजफ्फरनगर जिले में सिंचाई की सुविधायें

*४५—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५४-५५ में जिला मुजफ्फरनगर के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कितने राजकीय नलकूप, नहर, राजवाहे, नाली अथवा पानी निकालने के नाले (drainage) बनाना तय हुआ है ?

श्री राम मूर्ति—जिल मुजफ्फरनगर—में सन् १९५४-५५ में सिंचाई विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्माण प्रस्तावित है :—

१—१५ नलकूप,
२—तुगलकपुर माइनर,
३—कानू खेरा, नौजल, गूजरपुर तथा फुगाना ड्रेने ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या यह सही है कि तुगलकपुर माइनर के पिछले १० वर्षों से बनने का आयोजन हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—यह आयोजन रहा होगा लेकिन हम तो इसे बनाने जा रहे हैं ।

श्री रामदास आर्य (जिल मुजफ्फरनगर)—क्या इन १५ नलकूपों का स्थान निश्चित हो गया है ?

श्री राममूर्ति—वह तो आपही साहबान तय कर रहे होंगे ।

श्री बलवन्त सिंह—यह तुगलकपुर माइनर कितने अर्से में बनकर तैयार होगी ?

श्री राममूर्ति—जल्द से जल्द तैयार होगी ।

टौंस नदी में खुरहट स्थान से पम्प नहर का निर्माण-कार्य

*४६—श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टौंस नदी में खुरहट स्थान से जो पम्प नहर (Pump canal) निकल रही है वह कितनी बन चुकी ?

श्री राममूर्ति—अब तक नहर साढ़े पांच मील लम्बी बन चुकी है ।

*४७—श्री पद्मनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह (Canal) कितनी लम्बी होगी और किस स्थान तक जायेगी तथा इससे कितनी सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति---मुख्य नहर ६ १/२ मील लम्बी होगी और उसकी एक माइनर एक मील लम्बी होगी यह नहर जिला आजमगढ़ की तहसील मुहमदाबाद के गांव सलेहाबाद तक जायगी और इससे ४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

श्री पद्मनाथ सिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से सिंचाई के लिये पानी कब तक मिलना शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---दिसम्बर ५४ में चालू होने वाला है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इस योजना पर कितना रुपया व्यय हुआ है और कितना और खर्च होने पर यह पूरी हो जायगी ?

श्री रामसूर्ति---यह योजना ३ लाख रुपये की है।

बाराबंकी जिले में बहरामघाट---बाराबंकी ब्राडगेज रेलवे लाइन खोलने से केंद्रीय सरकार का इंकार

*४८---**श्री जगत नारायण** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में बहराम घाट बाराबंकी ब्राडगेज की रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के लिये प्रांतीय सरकार केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव दिया था ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---जी हां।

*४९---**श्री जगतनारायण** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री गिरधारी लाल---केन्द्रीय सरकार ने इस लाइन को चालू करना आवश्यक नहीं समझा।

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी

*५०---**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कितनी कृषि योग्य भूमि है और उसमें सरकार द्वारा व्यवस्थित सिंचाई का प्रबन्ध कितनी भूमि पर है ?

श्री राममूर्ति---गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल १,७३,००० एकड़ है अब तक इस तहसील में ११ नलकूप बने हैं, जिनसे ११,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यहां की सिंचाई के मुताल्लिक कोई सर्वे सरकार ने कराया है ?

श्री राममूर्ति---सर्वे तो हर जगह हो रहा है।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी सिंचाई का जो अभाव दूसरी तहसीलों में है उसकी पूर्ति सरकार किस प्रकार से करेगी ?

श्री राममूर्ति---१७ नलकूप बनाने की योजना है तथा आजमगढ़ पम्पिंग केनाल में से कुछ पानी पहुंचाने की योजना है ?

श्री कमला सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सिंचाई की योजना कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री राममूर्ति---कोशिश तो यही होती है कि जल्द से जल्द काम हो।

किसानों को पक्के कुएं बनाने के लिये सहायता

*५१—श्री अवधेश चन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वर्ष १९५३-५४ में प्रांत के किसानों को पक्के कुएं बनाने पर (subsidy) के रूप में कितना अनुदान दिया गया और उस में कितना खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५३-५४ में पक्के कुओं पर सब्सिडी देने के लिये कुल १८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से १३,७६,६०५ रुपये खर्च हुए।

*५२—श्री अवधेश चन्द्र सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् ५४-५५ में उपर्युक्त मद में कुल कितना अनुदान रक्खा है ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५४-५५ के बजट में इस कार्य के लिये २४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

श्री अवधेश चन्द्र सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह अनुदान प्रांत के प्रत्येक जिले को दिया गया है या किसी विशेष जिले को ?

श्री राममूर्ति—जो तालिका दी हुई है उसमें सब दिया हुआ है।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह—कोई तालिका संलग्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास भी नहीं है। आप यह बता दें कि कितने जिलों को यह अनुदान दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—१७ जिलों को।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह—यह जिले कौन-कौन हैं और उनको किस आधार पर यह अनुदान दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—वे जिले हैं — आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, बड़ा परगना।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में इस चालू वर्ष में कितने कुएं स्वीकृत हुए हैं ? तथा कितनों को सहायता दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक हजार कुएं वहां माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश से दिये गये थे और ३०० इसमें से एलाटेड हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कुएं स्वीकृत हो चुके हैं और वे किसी कारण से नहीं बन सके हैं, क्या सरकार उनके लिये कोई अवधि बढ़ाने का विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हर साल अलाटमेंट होता है, यह तो प्लानिंग कमेटी का काम है कि उनको जल्द से जल्द बना डाला करे।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह—मैंने पूछा था कि ये जिले किस आधार पर छांटे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आधार आवश्यकता के अनुसार होता है, जहां सिंचाई के साधनों की कमी होती है वहीं के लिये विशेष रूप से कुयं बनाने की योजना बनायी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो हजार कुएं बनाने का आदेश दिया गया था उनको ४०० रुपये के बदले में ३०० रुपया ही प्रति कुआं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हो सकता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ सौ रुपये की सहायता के बदले तीन सौ रुपये की सहायता देने का क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक बड़ा भारी कारण तो यह था कि तीन सौ से एक हजार कुओं की संख्या हो गयी आजमगढ़ जिले में।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सब जिलों में एक ही निश्चित रकम अनुदान के रूप में दी जाती है या भिन्न-भिन्न रकम दी जाती है।

श्री राममूर्ति---अलग-अलग दी जाती है।

आजमगढ़ जिला जेल के हवालाती कैदी

*५३---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला जेल आजमगढ़ में कितने हवालाती कैदी ऐसे हैं जिनको बिन अदालत के सामने पेश किये ही जेल में रिमांड आर्डर दे दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---१४ अक्तूबर, सन् १९५४ तक ऐसे ५ हवालाती कैदी थे। इसके बाद की सूचना नहीं मिल सकी।

*५४---**श्री उमाशंकर**---जिला जेल आजमगढ़ में कितने १०९ धारा जाब्ता फौजदारी के हवालाती कैदी हैं, जिनको गिरफ्तार हुए ६ माह से ऊपर हो गया है मगर अब तक उनके मुकदमें में फैसल नहीं हो सका है ?

श्री उमा शंकर---क्या सरकार कृपा करके इन ५ हवालातियों के नाम तथा उनके मुकदमों की धारायें बतायेगी?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह व्यक्तिक विषय का प्रश्न है।

श्री सैयद अली जहीर---१४ अक्टूबर सन् १९५४ तक की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई हवालाती कैदी नहीं था। इसके बाद की सूचना नहीं मिल सकी।

श्री गेंदा सिंह (जिल देवरिया)---क्या सरकार ने इस तरह का आदेश अदालतों को भेज दिया है कि बगैर मुलजिम की हाजिरी के रिमांड आर्डर अदालतें न दिया करें।

श्री सैयद अली जहीर---यह तो कोई आदेश का सवाल नहीं है, यह तो कानून का सवाल है।

श्री गेंदा सिंह---क्या न्याय मंत्री जी को इसका पता है कि इस तरह का कानून होते हुए भी अदालतें वगैर मुलजिम की हाजिरी के रिमांड आर्डर दे दिया करती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---कानून तो ऐसा नहीं है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नियमानुसार यह अनियमितता है ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ?

श्री अध्यक्ष---कानून तो बतला ही दिया कि नहीं है, आप सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं।

श्री उमाशंकर---इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में इसकी वजह मैं बतला सकता हूं कि ऐसे कुछ मुकदमे हैं जिनकी शिनाख्त कार्यवाही होनी है और उसके लिये अभी इंतजाम पूरी तौर से नहीं हो सका है। इसलिये इसमें देर हो रही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार कोई ऐसा सरक्यूलर भेजने का विचार कर रही है, जिसमें यह लिखा जाय कि इस कानून की पाबन्दी सख्ती से की जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---कानून की पूरी पाबन्दी हो रही है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जेल के मुआयना रजिस्टर में किसी विजिटर ने इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।

बलिया जेल के हवालाती कैदी

*५५---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला जेल में अधिक से अधिक कितने दिन से हवालाती कैदी पड़े हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---सबसे पुराना हवालाती कैदी १२ फरवरी, १९५४ ई०, से बलिया जेल में है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस जेल में उत्तर में बताया हुआ हवालाती किस दोष में बन्द है ?

श्री अध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं देता, आपका प्रश्न है कि वह कितने दिन से बन्द है।

श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि वहां कई हवालाती बहुत दिनों से जेल में बंद हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मेरे पास सूचना है, एक कैदी ६ महीने से ज्यादा का है।

श्री गेंदा सिंह---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन अभियुक्तों के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है वह बिना किसी अभियोग के बन्द किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---१२ फरवरी सन् ५४ से जो हवालाती कैद हैं, उनको इतनी देर तक हवालात में रखने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह डाके का मुकदमा है जिसमें इसके साथ १६ और मुजरिम हैं तो उनके पकड़े जाने और शिनाख्त की कार्यवाही में देर हो रही है।

सोन नदी पर राबर्ट्सगंज-रिहैंड डैम सड़क पर पुल निर्माण का आयोजन

*५६---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि राबर्ट्सगंज से रिहन्ड डैम के स्थान तक जो २६ फीट चौड़ी सड़क बनवायी जा रही है उसकी योजना में सोन नदी पर ऐसा पुल बनाने की व्यवस्था नहीं है जिस पर कि साल के हर मौसम में यातायात हो सके ? यदि ऐसे पुल की कोई योजना है तो उसकी लागत क्या होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सरकार ने ५० लाख रुपये की लागत का सोन नदी पर एक पुल जो कि हर मौसम में इस्तेमाल हो सकेगा बनवाने की स्वीकृति पहले ही दे दी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि इस पुल पर रेलगाड़ी नहीं चल सकती ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, वह पुल ऐसा नहीं है जिस पर रेल चले।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि यह पुल बरसात के दिनों में पानी में डूब जाया करेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कभी नहीं, बहुत ऊंचा खड़ा रहेगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या सरकार के सामने इस किस्म की कोई प्लान जेरे गौर है कि इस नदी पर रेल का पुल भी बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसका सम्बन्ध तो केन्द्रीय सरकार से है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

*५७—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[१० जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर डिस्ट्रिक्ट जज का वकीलों को गाउन पहिनने के लिये आदेश

*५८—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त न्यायालयों को यह आदेश दिया है कि न्यायालयों में उपस्थित होने के लिये अधिवक्ताओं (Counsels) को गाउन पहिनना अनिवार्य होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। जेनरल रूल सिविल अध्याय २६, नियम ३२ के अन्तर्गत जिला जज कानपुर ने अपनी २७ सितम्बर, १९५४, की आज्ञा द्वारा न्याय अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे न्यायालयों में गाउन पहना करें जिन न्याय अधिकारियों के पास गाउन नहीं है उनसे दो हफ्ते के भीतर गाउन तैयार करा लेने के लिये कहा गया था। वकीलों से भी न्यायालयों में उपस्थित होने के समय गाउन पहनने का अनुरोध किया गया है। जिन वकीलों के पास गाउन नहीं है उनसे एक महीने के भीतर तैयार करा लेने के लिये कहा गया था ।

*५९—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले में सिविल जज की आवश्यकता

*६०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गोंडा जिले में पिछले ६ महीने से कोई सिविल जज नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सिविल जज कितने दिन से गोंडा की अदालत में नहीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—६ जुलाई, सन् ५४ से ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार जल्द ही वहां कोई सिविल जज भेजने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, हाई कोर्ट को लिख दिया गया है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमे वहां पेण्डिंग हैं वह किसके यहां फैसल किये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में जब सिविल जज मुकर्रर हो जायेंगे तब वह फैसला करेंगे ।

श्री कमला सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केसेज सिविल जज की ज्यूरिस्डिक्शन में है या जो उठा करते हैं उनको इस वक्त कौन देख रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—कोई अदालत का अफसर होगा जो रखे हुये बैठा होगा ।

लालकुआं–रामपुर–शाहाबाद–चंदौसी रेलवे लाइन खोलने के लिये केंद्रीय सरकार को सुझाव

*६१—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लाल कुआं रामपुर अथवा लालकुआं–रामपुर–शाहबाद–चंदौसी रेल लाइन स्थापित करने के विषय में कोई सुझाव सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? तथा यह विषय अब किस स्थिति में है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां । सर्वप्रथम किच्छा से बिलासपुर–रामपुर और शाहाबाद होती हुयी चंदौसी तक एक रेलवे लाइन बनाने का सुझाव सन् १९४४ में केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था । किन्तु इसके विषय में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के विचार बदलते रहे हैं । फलतः अभी तक यह लाइन नहीं बन पायी है । अब राज्य सरकार रेलवे निर्माण की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रामपुर लालकुआं काठगोदाम लाइन को शामिल करवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

इलाहाबाद जिले की हंडिया और फूलपुर तहसीलों में सिंचाई के साधनों की कमी

*६२—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले की हंडिया और फूलपुर तहसीलों में सिंचाई के लिये सरकार की ओर से अब तक क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री राममूर्ति—फूलपुर तहसील में अब तक ९ नलकूप (Tubewells) बनाये जा चुके हैं ?

*६३—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि सिंचाई की व्यवस्था के अभाव में इन तहसीलों में किसानों की प्रतिवर्ष धान और रबी की फसल सूख जाती है ?

श्री राममूर्ति—इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली ।

*६४—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इस अभाव को दूर करने की ओर सरकार कोई कदम बढ़ ने का विचार रखती है?

श्री राममूर्ति—वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फूलपुर तथा हंडिया तहसीलों में ५० ट्यूब वेल तथा ४० मील सिंचाई की नहरें बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कितने तहसील फूलपुर और कितने तहसील हंडिया के लिये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आधा-आधा बांट लीजिये ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी इन क्षेत्रों के विस्तार और आवश्यकता को देखते हुये इस संख्या को दुगुनी करने का विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—साधन मिल जायं तो चौगुनी करना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों के सम्बन्ध में ऐसे आदेश दिये गये हैं कि वे सामुदायिक योजना क्षेत्र में बनाये जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। ऐसा तो नहीं है लेकिन सामुदायिक विकास केन्द्र में अवश्य ही ९,१० बन चुके हैं, शायद दो और बन जायं।

*६५—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*६६-६८—श्री देव दत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी में हरिजन बस्ती से ताड़ीखाने को हटाने के लिये अनुरोध

*६९—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि झांसी ताड़ीखाने का ठेका सन् १९५२-५३ में कितने रुपये का हुआ था सन् ५३ -५४ और ५४-५५ के लिये कितने रुपये का हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर—झांसी ताड़ी खाने का ठेका सन् १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ के लिये क्रमशः ५०,००० रु०, ५५,००० रु० और १,००,००० रु० का हुआ है।

*७०—श्री गज्जूराम—क्या सरकार को यह विदित है कि झांसी ताड़ीखाना ठीक हरिजन बस्ती के बीच में है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक सरकार को विदित है यह दूकान किसी भी मोहल्ले के बीच में नहीं है। इसके तीन ओर १५० गज की दूरी तक तथा चौथी ओर १०० गज की दूरी तक मैदान है।

*७१—श्री गज्जूराम—क्या यह सही है कि आबकारी मंत्री जी ने कुछ समय पूर्व उक्त ताड़ीखाने का निरीक्षण किया था ? यदि हाँ, तो वहां की जनता को माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि उसे किसी अन्य स्थान में हटा लिया जायेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, मादक कर मंत्री ने २८ अगस्त, १९५३ ई०, को इस ताड़ी खाने का निरीक्षण किया था और चन्द आदमियों से जो उस वक्त मौजूद थे सिर्फ इतना कहा था कि वह इस ताड़ी खाने के हटाये जाने या न हटाये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि स्थानीय हरिजनों के ऊपर ताड़ीखाने की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई इत्तिला सरकार के पास नहीं है।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वहां पर एक हरिजन महिला ने यह मांग की थी कि हम लोग बुरी स्थिति में पहुंच गये ह और बेकारी में जीवन निर्वाह करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—उन्होंने कुछ बातें कही थीं लेकिन इस वक्त खयाल नहीं है कि क्या कहा था।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुए कि वहां पर ताड़ीखाने के रहने के खिलाफ असंतोष है वे ताड़ीखाने को वहां से हटाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---इस प्रश्न पर कई दफे विचार हुआ है और वहां के जिले के हुक्काम ने भी और जो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के आदमी हैं सब की यही राय है इससे ज्यादा बेहतर और मौजूं जगह और कोई नहीं है। इसलिये इसको वहीं रखा जा रहा है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार को यह पता है कि वह ताड़ीखाना आम रास्ते पर है?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मुझे खयाल है वह ताड़ीखाना एक हाते के अंदर है और हाता रास्ते पर जरूर है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---क्या सरकार को कोई आपत्ति होगी यदि यह ताड़ीखाना मजदूरों के मुहल्ले से हटा कर झांसी की सिविल लाइन्स में भेज दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर---शहर में एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी को अधिकार है उसमें नान-आफिशियल्स भी हैं। वह अगर बैठ कर यह तजवीज करें और वहां के अफसरान भी राजी हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार कृपा करके बताएगी कि अगर यह ताड़ीखाना बिलकुल बन्द कर दिया जाय तो गवर्नमेंट को कितना नास होगा?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। माननीय सदस्य, आंकड़े बता दिये गये हैं, उनसे अन्दाजा लगा सकते हैं।

*७२---श्री रामेश्वरलाल---[११ जनवरी, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

*७३---श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)---[४ जनवरी, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

*७४---श्री रामस्वरूप---[१३ दिसम्बर, १९५४, को प्रश्न ७७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

मुरादाबाद जिले में सींची जाने वाली भूमि

*७५---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद की विभिन्न तहसीलों में कुल कितनी-कितनी भूमि है और उसमें से कितनी-कितनी सींची जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुरादाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों का कुल क्षेत्रफल तथा सींचा जाने वाले क्षेत्रफल माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुयी विवरण पत्रिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४० पर।)

संडीला तहसील में सड़कों का अभाव

*७६---श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)---क्या सरकार को मालूम है कि संडीला तहसील जिला हरदोई में कोई भी पक्की सड़क नहीं है?

निर्माण उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---इस तहसील में एक पक्की सड़क, लखनऊ-संडीला हरदोई है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संडीला तहसील में सड़कों की कमी की ओर ध्यान दिलाने के लिये कई दफा वहां का डेपुटेशन उनसे मिला?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वहां के माननीय सदस्यों ने और और लोगों ने भी इसकी बाबत ध्यान दिलाया है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी---वहां की सड़कें अभी तक न बन सकने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रुपये की कमी ही असली कारण थी । लेकिन एक और सड़क वहां पर बनाने का विचार है, चकलवंसी औरास से संडीला सड़क, और उम्मीद है कि शायद यह सड़क ले ली जाय ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---माननीय मंत्री ने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वहां के और और लोगों ने उनका ध्यान दिलाया है, तो उनका वह ध्यान कहां तक पहुंच पाया है ?

श्री अध्यक्ष---ध्यान किस के ऊपर ? क्या आपका मतलब है कि आपकी तरफ उनका वह ध्यान कहां तक पहुंच पाया है ?

१९४७ के बाद बलिया जिले की निर्मित सड़कें

*७७---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९४७ के पश्चात् निर्माण विभाग ने बलिया जिले में कितनी नयी सड़कों को बनवाया है और उनकी लम्बाई क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी गयी तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४१ पर ।)

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जो सड़क है यह पंचवर्षीय योजना के मातहत बनी है या किसी अन्य योजना के मातहत ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी तक तो पंचवर्षीय योजना ही चल रही है ।

आगरा-अलीगढ़ सड़क के मील नं० ३२ पर पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन

*७८---श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा अलीगढ़ रोड के मील नं० ३२ पर पी०डब्लू०डी० विभाग की कितनी जमीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आगरा अलीगढ़ के मील संख्या ३२ में पी०डब्लू-डी०की सड़क के अन्तर्गत ४१ फुट से ११६ फुट तक चौड़ाई की जमीन है ।

*७९---श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जमीन पी० डब्लू०डी० विभाग ने मकान बनाने के लिये हाथरस के कुछ व्यक्तियों को दी है ? यदि हां, तो क्यों और किस हिसाब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि मील नम्बर ३२ पर यह सड़क बहुत से स्थानों पर दिये हुये नाप से काफी कम चौड़ी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मील नम्बर ३२ पर जो इंक्वायरी की गयी है वह विभाग द्वारा की गयी है या सी०आई०डी० द्वारा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सब विभाग द्वारा ही सूचना मांगी जाती है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या मंत्री जी मेरे अनुरोध पर इसकी इन्क्वायरी सी०आई० डी० विभाग द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसमें कोई सी०आई०डी० का सवाल पैदा नहीं होता ।

नैनीताल जिले में रामगढ़ नदी पर खैरना पुल के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता

*८०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि खैरना, जिला नैनीताल, में रामगढ़ नदी पर टूटा हुआ पुल अभी तक नहीं बनाया गया? अगर हां, तो क्यों और उक्त पुल कब तक बन जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बरेली अल्मोड़ा सड़क के ९५वें मील में रामगढ़ नदी पर एक लोहेका पुल बना हुआ है जिसकी दशा बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ नदी पर और कोई पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि खैरना के पास मझेड़ा गांव के सामने एक पुल कई साल पहले रामगढ़ नदी पर बाढ़ में बह गया था और झूले का पुल दुबारा बनाया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, खैरना के पास जो एक झूले का पुल था उसका काम समाप्त हो गया और बन चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मझेड़ा वाला पुल कब तक जनता के जाने योग्य हो जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया उस पर काम समाप्त हो गया; जरूर जनता के जाने के काबिल हो गया होगा।

खीरी जिले में पलिया-हुसेनपुर कटोली सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० को देने का विचार

*८१—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील निघासन जिला खीरी की पलिया से हुसेनपुर कटोली तक की सड़क कब P. W. D. ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क के केवल पलिया—बेला (५ मील) तथा निघासन—हुसेनपुर (३७ मील) भाग जिला बोर्ड खीरी से लिये गये थे तथा उन्हें दिनांक ८ सितम्बर, १९५२ ई०, को वापस कर दिया गया।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार इस सड़क को फिर से पी० डब्लू० डी० में वापस लेने का विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पर दूसरी पंच-वर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

बांदा जिले में नरैनी-कालिंजर सड़क पर वागे नदी पर पुल की आवश्यकता

*८२—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की नरैनी तहसील से कालिंजर जाने वाली सड़क पर वागे नदी को पार करने के लिये सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उस नदी के ऊपर कोई पुल बनाने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

बरेली–शीशगढ़ सड़क को घनेटा से अकसौरा तक पक्का करने की आवश्यकता

*८३––श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)––क्या सरकार कृपा कर सूचित करेगी कि बरेली शीशगढ़ रोड जिला रामपुर तक चली गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जी नहीं।

*८४––श्री धर्मदत्त वैद्य––क्या सरकार इस रोड को वर्षा ऋतु में भी जनता के हित के लिये चालू रखने के निमित्त ग्राम घनेटा से अकसौरा तक के ४––५ मील के कच्चे मार्ग को पुख्ता कराने पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––इस प्रस्ताव पर जिला बरेली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य––क्या सरकार बतायेगी कि इस सड़क पर घनेटा स्टेशन पर जो क्रासिंग है उसके हटाने के लिये वहां के लोगों ने दरख्वास्त दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––इस समय तो मेरे पास सूचना नहीं है। नोटिस की जरूरत है।

श्री धर्मदत्त वैद्य––क्या सरकार यह जानती है कि घनेटा स्टेशन पर जो क्रासिंग है उसके कारण दो-दो घंटे तक यातायात रुकी रहती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि हो।

श्री धर्मदत्त वैद्य––क्या सरकार इस क्रासिंग के हटाने के लिये शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार को लिखने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––अभी तक तो कोई ऐसी इत्तिला नहीं थी। इत्तिला आने पर अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो लिखने का विचार किया जायगा।

गोंडा जिले में कच्ची सड़कों को पक्की करने में प्रगति

*८५––श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)––क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजनानुसार गोंडा जिला के ट्रांस राप्ती भाग की कौन-कौन सी कच्ची सड़कों को पक्की कराने की योजना रखी गयी थी और आज तक उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस भाग में बलरामपुर––तुलसीपुर सड़क को पक्की बनाने की योजना है। इस सड़क के १४ मील पक्के हो गये हैं। शेष २ मील ३ फर्लांग के इस आर्थिक वर्ष १९५४–५५ के अन्त तक पक्के हो जाने की आशा की जाती है।

*८६––श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल––क्या निर्माण मंत्री को पता है कि उपर्युक्त भाग तुलसीपुर देवी पाटन सड़क पर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ईंटें बिछाई गयी थीं तथा सीमेंट कंकरीट की सड़क बनाने की लिये पत्थरों के रोडे सड़क के किनारे डाले गये थे जो कि लगभग दो सालों से वहीं पड़े हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जी हां, सन् १९५३ ई० में इस सड़क पर सोलिंग ईटा लगा था तथा सड़क के स्टोन बाटर बाउन्ड बनाने के लिये पत्थर इकट्ठा किया गया था। आगे काम करने के लिये जिला बोर्ड गोंडा से आवश्यक धन प्राप्त न होने के कारण अभी तक कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ईटें भेजने में तथा पत्थर इकट्ठा करने में कुल कितना रुपया व्यय हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछले दो सालों में वहां पर देखभाल न होने की वजह से जितनी ईटें भेजी गई थीं वह करीब-करीब वहां से समाप्त हो चुकी हैं और पत्थर के रोड़े वहां पर दिखाई नहीं पड़ते ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पत्थर के रोड़ों की देखभाल के लिये तथा ईटें जो भेजी गई थीं उनकी देखभाल के लिये किसी आदमी की नियुक्ति वहां पर की गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---किसी खास आदमी की तो नियुक्ति नहीं हुई थी। वैसे विभागीय लोग तो देखभाल किया ही करते हैं।

अतारांकित प्रश्न

उन्नाव जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की चुनाव समिति के सदस्य

१---श्री देवदत्त मिश्र---क्या आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के चुनाव के लिये उन्नाव जिले में कोई कमेटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---

(१) जी हां।

(२) कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हैं:---

१-डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ।
२-डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज ।
३-श्री दुखहरन नाथ कौल, एम० ए०, एल एल० बी० ।
४-श्री हबीबुर्रहमान अंसारी, एम० एल० ए० ।
५-कैप्टेन मोहन लाल कुरील, एम० एल० ए० ।
६-श्री राम अधीन सिंह यादव, एम० एल० ए० ।
७-श्री कृष्ण सहाय श्रीवास्तव, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ।
८-श्री शिव मोहन बाजपेयी, बी० ए०, एल एल० बी० ।
९-श्री पी० डी० सिन्हा, एम० ए० ।

बदायूं जिले में कछला ब्रिज को चौड़ा करके गंगा पर पक्की सड़क का निर्माण

२---श्री झारखंडे राय---क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जिले में N. E. R के कछला ब्रिज के बगल से पुल को चौड़ा करके कोई पक्की सड़क गंगा नदी पर बनाई जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां।

बलिया जिले में बाढ़ डिवीजन कायम करना

३---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या यह सच है कि बलिया जिले में बाढ़ की रोक थाम के लिये सरकार ने एक बाढ़ डिवीजन कायम करने का निश्चय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, बलिया जिले में बाढ़ की रोक-थाम के लिये एक डिवीजन कायम किया गया है।

असरकारी संस्थाओं की आंडिट रिपोर्ट

४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उन गैर सरकारी संस्थाओं की जिनको वह ग्रांट देती है आडिट रिपोर्ट प्राप्त करती है ? यदि नहीं, तो क्या वह ऐसा करने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार से जिन बड़ी-बड़ी गैर सरकारी संस्थओं को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) मिलता है उनके लेखों (Accounts) की जांच के नियम पहले से मौजूद हैं । कुछ संस्थाओं की आडिट रिपोर्ट सरकार के पास आती है और वह उन पर कार्यवाही करती है और कुछ की संबंधित विभागों के अध्यक्षों (Heads of the Departments) के पास आती हैं और वे उन पर कार्यवाही करते हैं।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा नहीं उठता है।

रामपुर जिले के शाहाबाद तथा मिलक कस्बों के लिये बिजली की आवश्यकता

५—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के शाहाबाद तथा मिलक कस्बों में बिजली की सुविधा जनता को कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—शाहाबाद व मिलक कस्बों में बिजली देने की कोई भी योजना इस वक्त नहीं है।

सदन के भावी कार्यक्रम से सम्बद्ध परिप्रश्न तथा सुझाव

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं कुछ सूचना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे अब असेम्बली का कार्यक्रम कब तक रहेगा।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह २८ तारीख तक बैठक होगी असेम्बली की और जो काम है वह खत्म किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन मुझे करना है। आपको स्मरण होगा कि इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी विषय हैं जैसे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट जो कि मेरे खयाल से डेढ़ साल से इस सदन के विचाराधीन ह और उसी तरह से जमींदारी एबालीशन के नियम तथा चकबन्दी के नियम भी हैं जिनपर सदन को विचार करना है। सरकार ऐसा करती है कि अपने विधेयकों को तो हमेशा पहले ला दिया करती है और इन कार्यक्रमों को पीछे रख देती है और मेरा यह अनुभव रहा है कि अन्त में इन पर वादविवाद करने का वक्त नहीं मिलता और सदन को उससे वंचित रहना पड़ता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद इन सब कार्यक्रमों को ले लिया जाय और उसके बाद अगर समय बच जाय तो और जो विधेयक हैं सदन के सामने वह प्रस्तुत किये जायं, क्योंकि फिर मैं समझता हूं कि बजट सेशन आ जायगा और मई में फिर और कार्य का बाहुल्य रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जुलाई सन् ५५ या अगस्त सन् ५५ के पहले हम इन पर विचार नहीं कर सकेंगे। इसलिये आप विशेष तौर पर इसमें हस्तक्षेप करें और सरकार से यह मनवा लें कि यह पहिले ले लिये जायं और बाकी अगर वक्त रह जाय तो और विधेयक लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री, आपको कुछ इसके बारे में कहना है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जहां तक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करूंगा कि वह डिस्कस ही नहीं होनी चाहिये ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अब उस क्यों का जवाब मैं दूंगा। इस वक्त तो मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं।

बाकी और जो चीजें इसमें हैं जो डिस्कशन के लिये रखी हुई हैं उनमें सिर्फ एक चीज है पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट। तो मैं यह समझता था कि जो फैसला बिजनेस कमेटी ने कर दिया है यहां के काम के लिये, उसके मुताबिक कार्यवाही हो। उस कमेटी ने इन बिलों के वक्त मुकर्रर कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल के बाद दो तीन बिल और इसमें दे दिये गये हैं। बिजनेस कमेटी को सिर्फ दो तीन बिल समय बंटन के लिये दिये गये थे जिनके बारे में उसने समय निश्चत किया था। बाकी और किसी के लिये कार्यक्रम निश्चित नहीं है। तो यह जो सुझाव सरकार के पास आया है। उसके बारे में आपकी क्या राय है, यह मैं चाहता हूं सदन जान ले। वह चाहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल के बाद वह सब कार्यक्रम के पहले ले लिये जायं जो कि रिपोर्टों के हैं और बाकी बाद में लिये जावें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। मैं समझ गया। आपकी ख्वाहिश है कि जो और बिल हैं उनके बजाय इन रिपोर्टों को प्रायरिटी दी जाय। मेरा खयाल यह था कि बिजनेस कमेटी का इनके बाबत भी कुछ फैसला आ चुका है। मगर वह फैसला इनके बारे में नहीं हुआ था। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि फिर कर लीजिये अगली दफा जब बैठेंगे। बिलों को इस वक्त लेकर अगर २८ तारीख तक इनका नम्बर नहीं आया इन रिपोर्टों पर बहस करने का तो अगली दफा बहस कर ली जाय। इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि मैं और आप मिल करके यह तय कर लेंगे कि जब सेशन दूसरा शुरू हो तो उसमें इन पर किस वक्त बहस हो।

श्री अध्यक्ष—यह बात ठीक मालूम होती है कि ये जो इतनी रिपोर्ट हैं वे इस वक्त पेश हो जाय, उसके बाद इनके ऊपर बहस का मौका यदि नहीं आता या अगर वह बहस का वक्त आ जाय और सदन उठ जाय तो दोबारा जब सदन बैठेगा उस वक्त फिर उन पर बहस हो जाय। यह बात जानने और निश्चित करने के लिये यह प्रश्न उठाया गया और अभी मंत्री जी के, ओर विश्वास दिला दिया गया इस सदन को कि क्योंकि यह जरूरी है कि उनके ऊपर बहस का कोई मौका सदन को मिल जाना चाहिये तो इसके बारे में दिन निश्चित हो जायगा। मेरा सुझाव इतना है कि आगे सदन जब बैठे तभी फैसला हो, ऐसी बात न हो, बल्कि इस बीच में ही इस बारे में तय कर लिया जाय—पहले से ही—और इस बारे में बात चीत जारी रहे। और मैं भी उसमें जो कुछ सुझाव दे सकता हूं देने का प्रयत्न करूंगा जिसमें समझौते के साथ कोई दिन पहले ही निश्चित हो जाय।

अब आगे का कार्यक्रम उठा लेना चाहिये।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन में विलम्ब की शिकायत

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मुझे एक दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना है कि अर्बन एरिया जमींदारी अबालीशन बिल के संबंध में एक सिलेक्ट कमेटी

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनने की घोषणा हो चुकी है और आपको याद होगा कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय माल मंत्री ने कहा था कि दिसम्बर, १९५४, में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी और उस पर बैठ कर विचार हो जायगा। दिसम्बर समाप्त हो रहा है और असेम्बली भी प्रोरोग हो जायगी, तो सिलेक्ट कमेटी भी एक प्रकार से विधानतः समाप्त समझी जायगी और नई सिलेक्ट कमेटी बनानी पड़ेगी। श्रीमन्, नियमों के अनुसार कोई अश्योरेंस कमेटी तो है नहीं, और जब तक ऐसी कमेटी नहीं है तब तक आपकी ही जिम्मेदारी सर्वमान्य है कि आप यदि कोई अश्योरेंस सदन को दी गयी है, तो आप उसको पूरा करायें। तो मैं चाहता हूं कि माल मंत्री जी ने जो वादा किया था कि दिसम्बर १९५४ तक सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी, उसको पूरा करने के लिये और अर्बन एरिया जमींदारी अबालीशन बिल पर विचार करने के लिये आप कोई सुझाव दें और कोई जिम्मेदार कदम उठावें।

श्री अध्यक्ष---आज तो माल मंत्री यहां मौजूद नहीं है, इसलिये कल में समझता हूं इस प्रश्न के ऊपर वह तैयार हो कर आयेंगे और आप प्रश्नों के समय के बाद प्रश्न पूछ लीजियेगा। जहां तक यह आपने कहा कि जबतक कि जो वादे किये गये हैं उनको पूरा कराने के संबंध में कोई समिति नहीं बने तब तक मैं उस कार्य को अपने ऊपर लूं तो मेरे ऊपर तो स्वभावतः ही कार्य आहीं जाता है। लेकिन उसका दायरा जो आपने बताया वह आपने विस्तृत कर दिया है यानी वादा पूरा कराने की जिम्मेदारीआपने समिति पर डाली है जो कि ऐसी समिति की नहीं होती। उसका कार्य तो किसी वादे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराने तक रहता है, क्योंकि कोई जब्र तो सरकार पर हो नहीं सकता कि समिति वादा पूरा करावे। यह सदन को मालूम हो जायगा कि वादा किया गया था और वादा खिलाफी की या नहीं की? इतनी ही बात का ज्ञान सदन को ऐसी समिति के निर्माण होने से उसके द्वारा हो जायगा। फिर सदन के पास और दूसरा तरीका गवर्नमेंट को बाध्य करने का जो नियमों के अनुसार है वह सदन ले सकता है, लेकिन सदन सोता न रहे, उसको समिति जागृत कर दें कि यह वादे किये गये हैं, यह पूरे होने चाहिये और न सरकार ही सोती रहे इतना ही कार्य उस समिति का है। अब अगर माननीय सदस्य ने मुझसे कहा है तो मैं कार्य को तब तक देखूंगा। और मैं यह समझता हूं कि कल माननीय माल मंत्री जी से इस विषय में पूछा जायगा जब आप प्रश्न उठायेंगे कि इसके बारे में उनको क्या कहना है?

सदन क कार्यकाल में अल्पकालिक परिवर्तन का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक आज से लेकर २८ तारीख तक केवल ४ बजे तक रहे और इस बीच में जो लंच का समय है उस समय में भी सदन की बैठक चलती रहे। इसका कारण यह है कि ४ बजे से लेकर के आगे समय में बहुत से ऐसे समारोह हैं जिनमें कि सदन के सभी सदस्य करीब-करीब इस दल और उस दल के, शामिल होना चाहते हैं। इसलिये यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--- इसमें किसी को आपति तो नहीं है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर्चे ऐसा उधर से प्रस्ताव आ रहा है तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यह आदत आइंदा न पड़ जाय, इसलिये आइन्दा के लिये खयाल रखें।

श्री रामनरेश शुक्ल---महज आदतन प्रोटेस्ट किया है और कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रोटेस्ट नहीं किया है बल्कि वह चाहते हैं कि आप इस तरीके की आदत न अपना लें ?

श्री रामनरेश शुक्ल—नहीं, आदत इधर से नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को इतनी सूचना दे देना चाहता हूं कि जब लंच के समय में बैठने के लिये कहा गया है तो केंद्रीय लोक सभा में अगर लंच में बैठते हैं तो इस बीच में अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाय, जिसमें मत लेने पड़ें तो वह उस समय मत नहीं लेते हैं। लंच टाइम में वहां इस बात का मौका देते हैं कि लोग उठ जा सकें और कोरम कायम रखें और यदि कोरम न रहा तो उसके लिये भी कोई ध्यान नहीं दिलाता है। अगर कोरम में कुछ कमी हो तो थोड़ा बहुत लंच के समय का लिहाज किया जाता है और समझा जाता है कि लोग मौजूद हैं, चाहे खाते हुए किसी जगह पर मौजूद हों। इस तरह की चीज होती है तो यह थोड़ी सी सहूलियत मैं समझता हूं कि सदस्यों को दी जाय और यह उचित ही होगा और इसमें कोई बाधा नहीं हो सकती है। अगर इससे कार्यक्रम में बाधा पड़े, क्योंकि खंडों पर अमेंडमेंट्स होते हैं, तो बाधा पड़ने की संभावना हो सकती है। इसके लिये एक तरीका यह हो जायगा कि जिस संशोधन पर विरोध ज्यादा है, तो उस पर मत लंच के बाद लें। इसमें यह होगा कि सब संशोधनों पर उस समय विवाद तो हो जायगा लेकिन जिन में मतभेद हो उन के ऊपर इकट्ठी राय लंच के बाद ले ली जायगी। यह तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा, इस तरीके से सहूलियत सबको मिल जायगी। मैं समझता हूं कि इसमें राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह तरीका सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

*लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी खंड ३ पर भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

‡श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमान् जी, मैं कल निवेदन कर रहा था कि एफीलियेटेड कालेजेज और कांस्टीटुएंट कालेजेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित करने से यूनिवर्सिटी का करेक्टर बदल जायगा। फिर इसका यूनीटरी टीचिंग और रेजीडेंशियल करेक्टर नहीं रख सकते हैं। फिर तो इसका एफीलियेटेड करेक्टर का आधार हो जायगा और हम किसी प्रकार से इसकी संख्या को बाध्य नहीं कर पायेंगे क्योंकि लखनऊ में और भी कालेजेज के खुलने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि सदन में शांति रहे। शांतिपूर्वक जो बाहर जाना चाहें चले जांय। लेकिन कृपा करके बातें न करें, जरा भाषण सुनने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार लखनऊ यनिवर्सिटी का एक यूनीटरी टीचिंग एंड रजीडेंशियल करेक्टर बना। इसके लिये इसके पुराने इतिहास के देखने की आवश्यकता है। सैडलर कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार लखनऊ और इलाहाबाद युनिवर्सिटीज को यूनीटरी टीचिंग एंड रेजीडेंशियल करेक्टर बनाने का निश्चय किया गया। आज ३४ साल तक लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने आदर्श को चरितार्थ किया है जहां तक संभव हो सकता था यूनीटरी टीचिंग एंड रेजीडेंशियल करेक्टर को मेनटेन करने के लिये।

आज कहा यह जाता है कि हम इन कांस्टीटुएंट कालेजेज और एफ़ीलियेटेड कालेजेज को यूनिवर्सिटी में नहीं मिलाते हैं, तो बढ़ती हुयी विद्यार्थियों की संख्या को किस प्रकार से

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ को कार्यवाही में छपा है।

†२० दिसम्बर, १९५४, को कार्यवाही में छपा हैं।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय में खपा सकते हैं ? यह बात सही है कि आज विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और यह बात भी सही है कि जो अपने यहां ५ विश्वविद्यालय हैं उनमें उनकी संख्या सभी टीचिंग डिपार्टमेंट के मातहत सेंट्रलाइज नही की जा सकती है ।

श्री अयक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आपका संशो धन है कि खंड ३ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, श्रीमन्, सिर्फ़ उपखंड (१) को निकालने के लिये है जिसमें एसोशियेटेड कालेजेज और एफ़ीलियेटेड कालेजेज की परिभाषा दी हुई है ।

तो आज आगरा विश्वविद्यालय ऐसा है जिसका कि विधान इसी सदन ने पास किया । उस समय माननीय मंत्री जी ने देखा होगा कि हमने उस समय कोई एतराफ़ नहीं किया था कि आगरा यूनिवर्सिटी का एफ़ीलियेटिंग करेक्टर बदल दिया जाय । वह इसीलिये चूंकि हम लोग भी जानते थे कि आज इस प्रदेश में हायर एजुकेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक एफ़िलियेटिंग यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है ताकि जो नये डिग्री कालेज खुलें और जो बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या है उनको खपाने के लिये वह एफ़िलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो । तो अब हमारे सामने आदर्श तो यह होना चाहिए कि जितने नये डिग्री कालेज हों उनको आगरा से एफीलियेटे कर दिया करें, एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । अगर बढ़ाते हैं तो उसके लिये गोरखपुर या कानपुर में कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन वह भी टीचिंग और एफ़ीलियेटिंग दोनों होनी चाहिए । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्तर को भी नीचे गिरा कर उनको भी एफ़िलियेटिंग करेक्टर दे दें । यह प्रश्न केवल एकेडेमिक नेचर का ही नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी आटोनामी से भी संबंध रखता है । मैं फिर दोहराता हूं अपनी इस बात को कि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि बिना यूनिवर्सिटी की मांग के हम उसके करेक्टर को बदल दें । आक्सफ़ोर्ड, कैम्ब्रिज या इंगलैंड की और यूनिवर्सिटीज के इतिहास में हमको यही मिलता है कि वहां पर यूनिवर्सिटियों का सुधार उनकी मांग पर हुआ है और हम बिना यूनिवर्सिटी की मांग के उस पर अपने सुधारों को लादते हैं । यह बुनियादी फर्क है इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी रिफ़ार्म में और हमारे यूनिवर्सिटी रिफ़ार्म में । माननीय मंत्री जी को ३४ साल का यूनिवर्सिटी का अनुभव है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनको अपने इस ३४ वर्ष के अनुभव में यूनिवर्सिटी के यूनिटरी करेक्टर या रेजीडेंशियल करेक्टर या डिपार्टमेंटल करेक्टर से शिकायत रही है ? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है बल्कि इसके बजाय तो उन्होंने इस बात की हमेशा कोशिश की है कि हास्टेल बढ़ें ताकि रेजीडेंशियल सिस्टम सभी विद्यार्थियों पर लागू हो सके । अगर वह उसके रेजीडेंशियल करेक्टर से संतुष्ट रहे हैं तो आज वह स्वयं अपने हाथों अपनी सुन्दरता की प्रतिमा को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं ? वह क्यों यह चाहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को नीचे गिरा दिया जाय ? यह उनके जैसे सेवक के लिये शोभा नहीं देता है । मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनसे मैं माननीय गुप्ता जी से इस बात की प्रार्थना कर सकूं कि इस आधार को न बदलें । वह ट्रेजरर रहें या न रहें मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं लेकिन इस पर तो पूरा जोर देना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस रेजीडेंशियल और यूनिटरी करेक्टर को आप किसी हालत में न छीनें । एक दूसरी बात हमारे सामने आती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा । माननीय गुप्ता जी अपने नोट्स उठा कर देखें । उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम एसोशियेटेड कालेज और कांस्टीटुएंट कालेज नहीं चाहते बल्कि जो वर्तमान कालेजेज की परिभाषा है उसमें थोड़ा परिवर्तन अगर कर दिया जाय तो ठीक हो सकता है । उस कालेजेज की पुरानी परिभाषा में कुछ संशोधन की मांग की थी और वर्तमान परिभाषा का विरोध किया था । राधाकृष्णन् कमीशन, जिसकी बात माननीय मंत्री जी ने कही, वह इस संबंध में क्या कहता है ? उसने कहा कि 'यूनिटरी फ़ेडरेटिव करेक्टर' हो । उसने यह कहा कि इसके लिये हम देहली यूनिवर्सिटी के पैटर्न को रेकमेंड करते हैं कि अगर हमको मजबूरन किसी कालेज को यूनिवर्सिटी के साथ चलाना भी हो तो उस कालेज के लेक्चरार्स को हम यूनिवर्सिटी के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लेक्चरार मानें । वही सहूलियतें भी, वही तनख्वाह भी और कालेजों की पढ़ाई में और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के स्टैंडर्ड में कोई फर्क न हो । फेडरेटिव यूनिवर्सिटी की यह राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश है । मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी शैक्षिक सिफारिश राधाकृष्णन् कमीशन की थी जिसको हमें पूर्णतया मंजूर करनी चाहिए और अपनी सिफारिश नहीं जोड़नी चाहिए । माफ करेंगे गुप्ता जी, मैं अपने को शिक्षा के संबंध में कोई विद्वान नहीं समझता भले ही लेजिस्लेटर हूं । इस मामले में राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश, चाहे मुझे एक राजनीतिक के नाते अव्यवहारिक लगें, लेकिन मैं कहूंगा कि उनकी तूलिका विश्वविद्यालय के प्रबंध के संबंध में अधिक प्रबल है, अनुभवी है । उनको उन विश्वविद्यालय में काम करना है, हमें काम करना नहीं है उनको पढ़ाना है, हमें नहीं पढ़ाना है, उनको विद्यार्थियों से निपटना है, उनका दायित्व हम पूर्णतया नहीं समझ सकते । जिस प्रकार हम अपने प्रिविलेजेज के लिए इतना जोर देते हैं, उसी प्रकार उनको भी यह प्रिविलेज है । उनकी प्रिविलेज और आटोनामी की हमको इज्जत करनी चाहिए । इसीलिये मैं कहता हूं कि इस मामले में हमें राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश को १०० फीसदी मानना चाहिए । या तो माननीय मंत्री जी ने यह किया होता कि फेडरेटिव पैटर्न यूनिवर्सिटी का बनाया होता । अगर वह यह कहें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के असोशिएटेड कालेजेज जो होंगे उनके रीडर्स और लेक्चरार्स की तनख्वाह, उनके प्राविडेंट फंड के नियम और दूसरे सब नियम वही होंगे जो कि यूनिवर्सिटी के किसी अध्यापक के होते ह—यानी जैसे कान्यकुब्ज कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से असोशिएट हो गया तो चाहे वह सेपेरेट मैनेजमेंट में हो लेकिन वहां जो डिग्री क्लासेज को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वह एक प्रकार से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के ही अंग होंगे । उनको वह सारी सुविधायें होंगी जो कि यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को प्राप्त होती है । इस प्रकार वह अगर इसको फेडरेटिव पैटर्न देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा । लेकिन जैसा कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने बताया कि किसी कालेज के पास सामान ही नहीं है, बिल्डिग ही नहीं है, पढ़ाने के लिये क्लास रूम्स ही नहीं है, ऐसे कालेजों को अगर यूनिवर्सिटी का एसोशिएट कालेज मान कर अगर माननीय मंत्री जी अपने ही स्वप्न को स्वयं मिथ्या करना चाहते ह तो मैं इसका विरोध करूंगा और जी जान से विरोध करूंगा । मुझे माननीय मंत्री जी संतुष्ट नहीं कर सके कि किस प्रकार असोशियेटेड कालेजेज को मिलाना उचित समझते हैं ।

ऐसी ही कांस्टीटुएंट कालेज की बात है । कांस्टीटुएंट कालेज गवर्नमेंट कालेज रहेगा । जहां तक मुझे मालूम है, गवर्नमेंट कालेज जिसका ऐडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में हो, जिसके टीचर्स को पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करे न कि सेलेक्शन कमेटी जिसकी अर्थ व्यवस्था यूनिवर्सिटी बजट का अंग न हो कर इस हमारे बजट का अंग हो, ऐसे कांस्टीटुएंट कालेज को हम यूनिवर्सिटी का अंग बना रहे हैं ? यह किस प्रकार एकैडेमिक डैफिनीशन के मातहत है ? हमारे गवर्नमेंट डिग्री कालेजेज बहुत सी जगह हैं । नैनीताल में हैं, ज्ञानपुर में है, बहुत से हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के मातहत हैं । आपका यह महात्मा गांधी हास्पिटल है जो कि फैकल्टी आफ मेडिसिन के मातहत है, उसको आपने किस प्रकार यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में कर रखा है ? आप अलग से महात्मा गांधी हास्पिटल को ग्रांट दे देते हैं कि चार लाख रुपया पैथालौजी डिपार्टमेंट पर खच करने के लिये या होस्टल बनाने के लिये लीजिए । लेकिन फिर भी महात्मा गांधी हास्पिटल का बजट एक प्रकार से यूनिवर्सिटी बजट का अंग है । उसमें यह हो सकता है कि उसमें चंद बड़े प्रोफेसरों की तनख्वाहें यहां के बजट का अंग हो, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी कालेज फैकल्टी आफ मेडिसिन और लखनऊ यूनिवर्सिटी के मातहत है ।

मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार मेडिकल कालेज को वर्तमान अधिनियम के अनुसार कालेज की परिभाषा में मान कर खपा लिया गया, क्या उसी प्रकार इस आयुर्वेदिक कालेज को जो कांस्टीटुयंट कालेज होने जा रहा है, उसे फैकल्टी आफ मेडिसिन के साथ पुराने कालेज में नहीं खपाया जा सकता था ? अलग से कांस्टिट्टुएंट कालेज की परिभाषा को जोड़ कर एक

गवनमेंट के कालेज को यूनिवर्सिटी का अंग बनाना यह किसी प्रकार मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में भी यूनिवर्सिटी है---उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जिसका टीचिंग और यूनिटरी करेक्टर है। क्या वहां भी गवर्नमेंट कालेजेज कांस्टिट्यूएंट कालेजेज बने हुए हैं कोई मिसाल आप दे सकते हैं कि कांस्टिटुएंट कालेज, जो पूर्णतया गवर्नमेंट के मातहत है किसी भी यूनीटरी यूनीवर्सिटी का अंग बना है ? कोई मिसाल आप नहीं दे सकते। इसलिये, श्रीमान्, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह सिद्धांत की बात मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कई विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थियों को और अभिभावकों को खटकती है। इससे शायद माननीय गुप्ता जी भी प्रेरित हों और शायद उनके हृदय में भी आघात पहुंचता हो, लेकिन शायद कुछ कारण हों ज्ञात या अज्ञात जिसके कारण मजबूर होकर उन्होंने एफिलियेटेड कालेजेज को यूनीवर्सिटी का अंग बनाया है। अगर ऐसी बात है तो वे इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं जैसा कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार किया गया था, और मुझे आशा है कि यह परिभाषा ड्राप कर दी जायगी। लखनऊ यूनीवर्सिटी का जो विधान है उसमें जरा से हेरफेर करके, ताकि काम निकल सके, उसका आधार बनाया जा सकता है जिससे लखनऊ यूनीवर्सिटी का पुराना इतिहास सुरक्षित रहे।

एक बात और कहना चाहता हूं जिसकी ओर माननीय गुप्त जी ने ध्यान आकर्षित किया था कि आज रेजीडेंशियल यूनीवर्सिटी का नाम लेना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अधिकांशतया होस्टल्स में न रह कर बाहर या अपने घरों में रहते हैं। मैंने इस संबंध में इंग्लैंड के उदाहरण देखे। इंगलैंड में भी जहां टीचिंग, यूनीटरी और रेजिडेंशियल यूनीवर्सिटीज हैं, उनके विद्यार्थी अधिकांशतया होस्टल के बाहर रहते हैं। होस्टल में नहीं रह पाते हैं, और इसीलिये इंग्लैंड के उदाहरण को देखते हुए हमें इस बात की चेष्टा न करनी चाहिए कि हम सब विद्यार्थियों को होस्टल में जगह नहीं दे पाये हैं, तो हम यूनिवर्सिटी के रेजिडंशियल करेक्टर को बदल दें, ऐसा न करना चाहिए। बल्कि हमें इंग्लैंड का अनुकरण करना है तो हम यूनीवर्सिटी आफ इंगलैंड का अनुकरण करें। इसका नंबर वहां की आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के बाद तीसरा आता है। उसने अपने पैटर्न को बदला है। उसने अपने एफिलियेटिंग पैटर्न को बदल कर टीचिंग पेटर्न कर दिया है न कि टीचिंग पैटर्न को बदल कर एफिलियेटिंग पैटर्न। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी हमारे संशोधन पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी संशोधन इसी से कवर हो जाता है, इसलिये मैं माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के संशोधन का समर्थन करता हूं। कल माननीय गुप्ता जी ने यह कहा था कि जो आदमी एफिलियेटिंग कालेजेज का विरोध करता है मैं समझता हूं कि वह शिक्षा को बढ़ने नहीं देने चाहता है।

लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने यह धारणा कैसे बना ली ? हमारा जो मतभेद है वह इसलिये है कि यूनिवर्सिटी में अगर सचमुच एफिलियेशन का प्रश्न है तो जो यह कालेज एफिलियेटेड बना रहे हैं वह किस आधार पर बनाये जा रहे हैं। आप किस आधार पर उनको एफिलियेशन दे रहे हैं ? आपका जो यह विधेयक पहलेवाला है उसके अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके आधार पर एफिलियेशन दिया जा सकता हो।

दूसरी बात यह है कि जिनको आप कांस्टीट्यूएंट कालेज बना रहे हैं उनको आप चलायेंगे और एफिलियेशन मांगते हैं यूनिवर्सिटी से कि वह दूसरे कालेज को एफिलियेशन दें। जैसा कि आयुर्वेदिक कालेज खोला जा रहा है उसको आप यूनिवर्सिटी के अंदर देना चाहते हैं और अगर उसके अंदर नहीं देना चाहते हैं तो यह कोई तुक नहीं है कि कालेज चलाये तो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी उसको एफिलियेशन दे। इसमें तो विरोधाभास है। जो सबसे बड़ी बात थी वह यह कि आप इसके नाम को बदलते और टीचिंग या एफिलियेटिंग जैसा भी आप चाहते हैं इसके अंदर वह शब्द रखते, आप वहां पर यूनिटरी शब्द लगाये हुए हैं। अगर आप टीचिंग को बढ़ाना चाहते

[श्री जोरावर वर्मा]

हैं तो उस शब्द को वहां से हटा दीजिये और अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो मैं यह कहता हूं कि यह तो उसी दुकानदार की तरह से है जो बेचता है डालडा और अपने यहां साइनबोर्ड लगाये हुए ह कि हम देशी घी बेचते हैं, वह साइनबोर्ड से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है, इसी तरह से मंत्री जी यह करना चाहते हैं। अगर आपको एफिलियेटिंग कैरेक्टर रखना है तो उसको साफ-साफ लिखिये। मुझको बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर जब मंत्री जी ने यह बात कही कि हम राधाकृष्णन कमीशन की राय को नहीं मानते हैं। उस कमीशन ने सब मार्ग बतलाये हैं, लेकिन उसके बतलाये मार्ग पर न चलकर आप अपने लिये अलग मार्ग कायम करना चाहते हैं। उसने बतलाया था कि अगर विद्यार्थियों की संख्या २,५०० है और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिये और शिक्षा को देना चाहते हैं तो उसके लिये फेड रेटिंग कैरेक्टर बनाइये। वह यह नहीं कहते हैं कि शिक्षा न दी जाय। इसके लिये पेज ४१३ पर यह दिया हुआ है कि :

" It is difficult to name the exact size beyond which a Unitary University should not be allowed to remain a single unit for teaching and other corporate activities, but we suggest that when the number of students sreaches 2500 the University shall either fix that as its limit, or,if further expanston is desired, should proceed to change from a unit to a federation."

यह उन्होंने साफ बतलाया है कि अगर कुछ चेंज करना हो तो उसको साफ-साफ रखिये। लेकिन जिस तरह से इसमें रखा जा रहा है यह किसी भी विद्वान का मत नहीं है और न आज तक दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का किसी ने रखा है। शायद गुप्ता जी जब से यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में रहे हैं और वहीं से यह ज्ञान प्राप्त किया है और वह अपने मार्ग को अलग ही बना रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो यह अलग ही बात है।

दूसरी बात यह है कि अगर आपको फैडरेटिंग एक्सपेन्शन करना है तो उसके लिये अलग-अलग इन्टरनल साइड और एक्सटर्नल साइड कर दिया जाय। इससे मैनेजमेंट अच्छा होगा, जो कि फैडरेटिंग के लिये जरूरी है इसके लिये अपनी राय राधाकृष्णन् कमीशन ने भी दी है। अगरआप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यकता है कि जिनको आप एफिलियेट करना चाहते हैं उनमें विद्यार्थी और अध्यापकों की भी सही व्यवस्था हो। उन कालेजों में उस स्टैंडर्ड के अध्यापक नहीं आ सकते हैं और वह पढ़ाई भी वहां पर नहीं हो सकती है। इसलिये उसका मैनेजमेंट एक ही होना चाहिए। जो आदमी आजकल के जमाने में रह रहा है वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि शिक्षा का विकास नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र शिवनारायण जी ने कल कहा था कि हम सरकार से इस बात की अपील करते हैं कि वह शिक्षा को इतनी सस्ती करदे कि जिससे हर आदमी सुविधापूर्वक उसको प्राप्त कर सके, हर एक आदमी पढ़ सके, यह बहुत अच्छी बात है और इस सुझाव को उनको मान लेना चाहिए कि हमारे जो एफिलियेटिंग कालेज वह कर रहे हैं वह किस आधार पर कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि यह निराधार है और इसमें न तो राधाकृष्णनन् कमीशन की राय को माना है, न मूथम कमेटी की और न नरेन्द्रदेव कमेटी की राय को ही माना है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो एफीलियेटेड और कंस्टीट्यूऐंट कालिजों की वह व्यवस्था कर रहे हैं उसके बारे में देश के विद्वानों की राय को मानना चाहिए। आपने यह भी नहीं बतलाया है कि एफिलियेशन कैसा होगा ? कोई संस्था तो ऐसी होनी चाहिए जो आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को जो हमने कैरेक्टर दिया है उससे मुख्तलिफ हो जिससे पता चल सके कि कौन सी युनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा अच्छी मिलती है। यह तो हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कौन सा ढांचा हमारे लिये उपयुक्त होगा। जो बात कही जा रही है और की जा रही है उससे तो युनिवर्सिटी ही बरबाद हो जायगी। शिक्षा को सभी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह कोई नहीं चाहता होगा कि इन्हें किंडरगार्टन या प्राइमरी स्कूल बना दिया जाय और अध्यापक का कोई स्तर ही न रहे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो बातें कही गयी हैं उन पर वह ध्यान दें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी के संशोधन के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हमारी सरकार को और खासतौर से माननीय गुप्ता जी की यह राय रही है और वह चाहते हैं और चाहते थे यूनिवर्सिटी का यूनीटरी कैरेक्टर रहे। लेकिन समय का तकाजा, विद्यार्थियों की बढ़ती हुयी तादाद और ऐसे प्रश्न उनके सामने आये जिनसे मजबूर होकर कंस्टीट्यूएंट कालेज और एसोशियेटेड कालेज की व्यवस्था इस विधेयक में की गयी। उन्हीं कारणों से १९२० में जब ऐक्ट बना तो इसके बाद आई० टी०, महिला और क्रिश्चियन कालेजों में साइंस के क्लासेज खोलने की व्यवस्था की गयी थी और उनको मान्यता दे दी गयी। वह इसलिये कि साइंटीफिक एजूकेशन की मांग थी और विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही थी वहां उससे अधिक की गुंजायश नहीं थी। इसके बाद ग तवर्ष भी कुछ बी. ए. क्लासेज खोलने की आज्ञा लोकल कालेजेज को दी गयी। इसमें शक नहीं कि मैं माननीय तिवारी के संशोधन का विरोध करता हूं लेकिन साथ में विचारने की बात है और एक बड़ी फंडामेंटल चीज है कि जब हम इन एसोशियेटेड कालेजों को मान्यता देने जा रहे हैं और उनके लिये हम कोई खास ऐसा नियम न बनावें प्रतिबंध न लगावें और हर कालेज को मान्यता देना आरंभ कर दें जिससे उनका स्तर ऊंचा न हो और किसी कालेज को मान्यता दें तो शिक्षा का स्तर गिरेगा। विश्वविद्यालय के मुकाबिले में कालेजों के पास अच्छे अध्यापक, इक्विपमेंट और लाइब्रेरी नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में जो अध्यापक रिसर्च गाइड करता है और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को पढ़ाता है वही बी. ए. की फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाता है। लेकिन इन एसोशियेटेड कालेजों में जो अध्यापक इंटरमिडियेट क्लासेज को पढ़ाता है वही बी. ए. क्लासेज को पढ़ावेंगे। और हां बहुत से कालेजेजों में ५०—१०० रुपये की तरक्की देकर उन्हीं टीचर्स को जो इंटरमिजियेट को पढ़ाते हैं बी. ए. क्लासेज के पढ़ाने का काम दे देते हैं। माननीय मंत्री जी स्वयम् यहां के जो कालेजेज हैं उनमें इस बात की तहकीकात कर सकते हैं और यदि यह सही साबित हुआ तो वास्तव में शिक्षा का स्तर बहुत गिर जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इस बात की घोषणा करें तो कम से कम मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी वह यह है कि यूनिवर्सिटी की सेंकटिटी मेंनटेन करने के लिये यह कर दिया जाय कि जो यूनिवर्सिटी से बी. ए. पास करे इसको बी. ए. आनर्स की डिग्री दी जाय और जो एसोशियेटेड कालेजेज से पास करें उनको बी. ए. पास की डिग्री दी जाय। तो हमारे सामने जो आज कठिन यूनीटरी करेक्टर की समस्या है वह किसी हद तक दूर हो जायगी और मूथम ने जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री की व्यवस्था बताई है उसके अनुकूल होगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्टेंडर्ड को बढ़ाने के साधन उपलब्ध होते हैं, वहां अच्छी लाइब्रेरी होती है, इसके अलावा वहां पर स्टाफ भी अच्छा होता है। इसलिये यह समस्या इस सुझाव को मान लेने से हल हो जायगी आलोचकों को भी इससे शायद आपत्ति न होगी।

इसके अलावा एक बात और कही गयी कि आयुर्वेदिक कालेज को यूनिवर्विटी ही मैनटेन नहीं करेगी जिस प्रकार कि वह किंग जार्ज मेडीकल कालेज को करती है। मेडीकल कालेज उसकी एक प्रकार से फैकल्टी है। आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी मेडिकल कालेज में ही रहते हैं और पढ़ते हैं। इसलिये अगर उसको मेडिकल कालेज की तरह से यूनिवर्सिटी में मिला दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा। माननीय तिवारी जी की जो कठिनाई है वह भी दूर हो जायगी। अगर सरकार एक मेरे सुझाव को मान ले जो इस प्रकार से है —

" College means an institution maintained by the University or if not so maintained, recognized by the University in accordance with the provisions of this Act in which instruction shall be provided under conditions prescribed in the Statutes."

इस प्रकार यूनीटरी अपहरण की जो बात कही जाती है वह समस्या खत्म हो जायगी और कालेजेज में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जायगा। जहां तक यूनिवर्सिटी के यूनिटरी करेक्टर का सवाल है, यह बात अगर उन्होंने मान ली तो बड़ा भारी मुझे हर्ष होगा। आई. टी.

[श्री नेकराम शर्मा]

कालेज के अलावा जितने स्थानीय कालेजेज हैं वे यूनिवर्सिटी की शिक्षा के स्टैन्डर्ड को मेनटेन नही कर सकते। यूनिवर्सिटी में जब कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चरर नियुक्त किया जाता है वहां एफीलियेटेड कालेज में सेकिंड डिवीजन का ही अपाइन्टमेंट हो जाता है। कहा गया कि इसके लिये एक सेलेक्शन कमेटी होगी लेकिन उस सेलेक्शन कमेटी में एक कालेज के मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा और दूसरा प्रिंसिपल होगा। उनके द्वारा अच्छे टीचर्स अपाइंट हो सकें ऐसी आशा नहीं की जा सकती और न उससे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ही हो सकता है। इसके अलावा मैं माननीय गुप्ता जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि अगर 'इम्पार्ट, के पश्चात् जो 'आल' शब्द आया है उसको निकाल दें तो भी किसी हद तक समस्या का हल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन तो स्वीकृत हो चुका है। 'आल' शब्द निकाल दिया गया है और 'इम्पार्ट' के स्थान पर "प्रोवाइड" कर दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा—मैंने जो भावना माननीय मंत्री जी के सामने रखी है उससे मैं समझता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी की दिक्कत दूर हो जायगी और यूनिवर्सिटी का यूनिटरी कैरेक्टर भी मेनटेन रह सकेगा। जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से पास करें उनको बी. ए. आनर्स की डिग्री दी जाय और जो दूसरी कालेजेज से पास करें उनको बी. ए. पास की डिग्री दी जाय।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन का विरोध करता हूं। मैंने बड़े ध्यान से माननीय नारायण दत्त जी के भाषण को सुना और मैं स्पष्ट उनसे इस बात को बतला सकता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है वहां तक उनकी बातों से मौलिक मतभेद है। उन्होंने इंगलैन्ड की यूनिवर्सिटी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनिटरी सिस्टम और एफिलिएटेड कालेज की आटोनामी आदि की चर्चा की और स्टैंडर्ड के गिरने की भी चर्चा की। इसमें मुझे एक एरिस्टोक्रेटिक गंध मिलती है। आज के वर्तमान समय में जो यूनिवर्सिटी का स्टेट है उसमें स्टैंडर्ड गिरने की बात करके इंगलैन्ड और आक्सफोर्ड की कापी करने की चर्चा करने में मूलतः एरिस्टोक्रेटिक गंध है। माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि इंगलैन्ड और आक्सफोर्ड में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है, जिस तरह से उनका यूनिटरी सिस्टम है उसकी हम कापी करें तो जो स्टैंडर्ड गिरने की बात देखने में आती है वह नहीं गिरेगी और यह जो ऐक्ट में संशोधन हो रहा है उससे स्टैंडर्ड गिरेगा और एक बड़ी भारी अजब बात हो जायगी। मैं निवेदन कर रहा हूं इस सदन से और माननीय नारायण दत्त जी से कि यदि हम आज की वर्तमान परिस्थिति में विचार करें तो उससे यह पता लगेगा कि उनकी बातों में एरिस्टोक्रेटिक गंध है। वास्तव में इंगलैन्ड की यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा होती थी वह एम्पायर को गवर्न करने के लिये होती थी और उनका बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड होता था ताकि वे हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, वेस्ट इंडीज और दुनिया के तमाम देशों में जाकर शासन करें। उस वक्त केवल इसी तरह की शिक्षा दी जाती थी। उस समय आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं थी। इसलिये उनको इम्पीरिअल ढंग की शिक्षा दी जाती थी। यदि हमको यूनिवर्सिटी के विधान में कोई संशोधन करना हो तो हमको इंगलैंड की यूनिवर्सिटी की नकल नहीं करना है बल्कि आज के भारत के नये सेटअप में हमको ऐक्ट में संशोधन करने की बात सोचनी पड़ेगी, आज के भारत में हमको स्टैंडर्ड के गिरने की बात करनी पड़ेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी को ही आप ले लें, कालविन कालेज को ही देखें कि उसके लिये कहा जाता था कि कालविन कालेज की पढ़ाई बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड की होती है लेकिन जब से साधारण लड़के भी उसमें अपना ऐडमिशन लेने लगे तो कहा जाता है कि वहां की शिक्षा का स्टैंडर्ड गिर गया। वह इसलिये कि चूंकि अब उसमें हरिजन विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी भी एडमिट होते हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी के रन करनें की बात है और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के बढ़ाने की बात है वह बीसवीं शताब्दी की बात न होकर एक पिछले युग की बात कही जाती है जब कि लोग अच्छे जूते पहन कर तथा अच्छे सूट में यूनिवर्सिटी तथा कालेज में जाना अपनी शान समझते थे। उस जमाने में साधारण व गरीब विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में न पढ़ कर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने

जाया करते थे तो कहा जाता था कि बनारस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड नीचा है। वह सिर्फ इसलिये कि वहां साधारण और गरीब विद्यार्थी भी जाते थे। इसलिये मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि जहां वे स्टैंडर्ड गिरने की चर्चा करते हैं, वहां ऐफिलिएटेड कालेज की चर्चा करते हैं और उसके स्टैन्डर्ड नीचा गिरने की चर्चा करते हैं तो यदि मैं 'गलत' शब्द प्रयोग करूं तो अनुचित न होगा कि वे मूलतः गलती करते हैं। जब वे स्टैंडर्ड ऊंचा करने की बात करते हैं तो वे पिछले युग का जिक्र करते हैं। यदि आज के भारत में हमको शिक्षा देनी है और गांव-गांव के हर एक आदमी को शिक्षा देनी है तो कामन सेट अप हमको स्टैंडर्ड की बात दूसरे दृष्टिकोण से सोचनी पड़ेगी। एफिलिएटेड कालेज की संख्या बहुत कम है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है और हमें शिक्षा को एक्सपेंड करना है तो इस ऐक्ट को बनाते हुये हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा और मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि इस पर भी हमको विचार करना है। माननीय नारायणदत्त जी तिवारी तथा श्री जोरावर वर्मा जी ने जो यह कहा कि हम एफिलिएटेड कालेज द्वारा और दूसरे तरीके से शिक्षा का एक्सपेंशन करें तो स्टैंडर्ड न गिरने पावे और उसके लिये आवश्यकता है हमको अच्छे टीचर्स की, अच्छी लाइब्रेरीज की और अन्य ऐसी चीजों की इस पर भी हमको विचार करना है। अगर इस तरह का कोई प्राविजन आ जाता तो बात मेरी समझ में आती, लेकिन एफिलिएटेड कालेज की डिनाई करके यूनिटरी सिस्टम से अपने को कंफाइन करें और चाहें कि शिक्षा का एक्सपेंशन हो जाय तो यह कैसे हो सकता है?

आज के भारत की वर्तमान परिस्थिति में, समाज की बढ़ती हुई मांग और विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या में जब एक तरफ हम उनके लिये कोई प्राविजन नहीं कर सकते और दूसरी तरफ हम मौजूदा जो यूनिवर्सिटीज हैं उन तक ही अपने को कनफाइन रखें तो फिर हमारे सामने दूसरा चारा ही क्या है? यह तो मूलतः एक मौलिक मतभेद है। आज की और पहले की हालतों में जो अन्तर है उसको हमें समझना है। जो लोग कहते हैं कि इंगलैंड की कापी नहीं करते और जो लोग कहते हैं कि जब यूनिवर्सिटीज ने लिमिट किया है तभी वहां सुधार हुआ है इसमें भी मतभेद है। पहले ऐसा था कि जब वास्तव में एक यूनिटरी कैरेक्टर होता था और एक लिमिट कर के चलते थे तो परिवर्तन होता था लेकिन आज डेमोक्रेसी के जमाने में वह पुरानी परिभाषा बदलती जा रही है, आटोनोमी की परिभाषा भी बदल रही है, जब देश में डेमोक्रेसी चल रही है तब फिर आटोनामी का प्रश्न ही क्या है वह तो उसमें आ ही जाती है, उसका स्थान तो डेमोक्रेसी में स्वतः रहता ही है। पहले जब कालोनाइजेशन सिस्टम था तब उसकी जगह हो सकती थी। परन्तु आज वह व्यवस्था समाप्त हो गई। आज दूसरे सिद्धांत, दूसरे मौलिक तरीके से, दूसरी रीति से समाज का निर्माण हो रहा है और आज उस पुराने तरीके पर हम अपनी यूनिवर्सिटीज को नहीं चला सकते। एजूकेशन के क्षेत्र में भी एक सेंट्रेलाइज सिस्टम की आवश्यकता है और वह इसलिये है कि हमारा समस्त देश एक नये ढांचे में ढले, समाज ऐसा बने और एक ही लाइन पर सोचे। लेकिन आज कोई किसी दिशा में जाता है, कोई किसी भाषा में बोलता है, कोई विदेश की भाषाओं की बात करता है, कोई योरोप, मास्को और चीन की बात करता है। इस समय जरूरत इस बात की है कि हम पूरे देश के लिये एक पद्धति लावें, अपने देश के लिये एक शिक्षा का कैरेक्टर लाना है, गवर्नमेंट एक डायरेक्शन करे, एक ऐक्ट बनावे, उसमें हम लीड करें और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें। आज जब देश डेमोक्रेटिक सिस्टम पर वर्क कर रहा है और जागृत हो चुका है और मासेज की एजूकेशन का सवाल है तो सिवाय शिक्षा के एक्सटेंशन के और कोई रास्ता नहीं है।

अब सवाल यह है कि यह ऐक्सटेंशन कैसे संभव हो। कहा जाता है कि अब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड था और वहां का एक खास पेटर्न था, लेकिन आज जब मासेज को भी शिक्षा में साथ लेकर चलना है तो फिर किस प्रकार हम वहां के स्टैंडर्ड के गुन गायें? तो उस एक्सपेंशन के लिये हमें यह एफिलियेशन करना ही होगा। यह शब्द जो फेडरल, यूनिटरी वगैरा थे यह शब्द खास मकसद से रखे गये थे और यह एक तरह से उस वक्त पोलिटिकल शब्द थे। उस समय किसी स्वार्थ के लिये वह चाहे रखे गये हों लेकिन

[श्री पद्मनाथ सिंह]

आज परिस्थिति दूसरी है। उस दृष्टिकोण से यूनिटरी सिस्टम और एफिलियेटिंग पद्धति में अन्तर हो सकता है, लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति पर गौर करें तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। श्री जोरावर वर्मा और श्री नारायणदत्त जी ने जो स्टैंडर्ड की बात को रखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह वही एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम या वही उस जमाने का जो उनका 'वे आफ थिन्किन्ग' था वही कायम रखना चाहते हैं और इसीलिये शायद जो कालिवन कालेज या जो ताल्लुकेदारों का कालेज था वहां का स्टैंडर्ड अच्छा लगता है। अगर आज वही स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करें तो वह हमारे मास इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते, इसलिये जो प्राविजन बिल में आया है वह आज की परिस्थिति में बहुत ही अनुकूल है और हमारी कोशिश होनी चाहिये कि यह एफिलियेटेड कालेज भी ऊंचे स्टैंडर्ड को प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सुझाव बहुत ही सराहनीय है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री नारायणदत्त जी का जो संशोधन है वह एक शर्त पर माना जा सकता है और वह यह कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी आजकल चल रही है वैसी न हो बल्कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहां पर लड़के को कुछ फीस न देनी पड़े। और यह भी प्रतिबन्ध लगा हो कि जो लड़के यूनिवर्सिटी में दाखिल होते वह मेरिट की बेसिस पर ही आते, यह न हो कि जो लड़के चाहें वहां दाखिल हों बल्कि वही दाखिल हों जो कि अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी मैरिट के अनुसार या जो अच्छे डिवीजन में पास हुये हों वे आ सकें। यदि इन दोनों सुधारों के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक बनाते तब तो माननीय तिवारी जी का संशोधन मान लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है और न ऐसा हम कर ही सकते हैं। तो यदि माननीय तिवारी जी का संशोधन मान लिया जाता तो उसका मतलब यह है कि इस देश के ऊंचे वर्ग के लिये शिक्षा है जिनकी पेइंग कैपेसिटी है उनके लिये एक सीढ़ी हमने बढ़ा दी और जनसाधारण के लिये एक सीढ़ी और घटा दी। यह संशोधन बिलकुल सोशलिज्म के खिलाफ जाता है जिस पद्धति के बड़े जबरदस्त हामी वे हैं। इससे नतीजा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट लाखों रुपया यूनिवर्सिटी पर खर्च करेगी और अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करेगी, लेकिन इसमें जा सकेंगे वही कुछ सिर्फ, जो यूनिवर्सिटी की फीस अदा कर सकें, जो होस्टल्स का खर्चा पूरा कर सकते ह, वहां के स्टैंडर्ड को पूरा कर सकेंगे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन सकेंगे और सौ दो सौ रुपये महीने जिनके वालदैन खर्च कर सकेंगे, वही जा सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि सब कुछ करने के बाद सिर्फ चन्द आदमियों को इसका लाभ पहुंच सकेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसी शिक्षा डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं चल सकती कि हम जनसाधारण के इंटेरेस्ट का ख्याल न करते हुये कुछ थोड़े आदमियों के इंटेरेस्ट का लिहाज करें और उसको ही हम अपने नजर में रखें। माननीय तिवारी जी ने जनसाधारण के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करते हुये कुछ चन्द ऐरिस्टोक्रेटिक लोगों के इंटरेस्ट में एक बहस प्रारम्भ की है, जो मेरे ख्याल में यदि माननीय तिवारी जी इस प्वाइन्ट से इसको सोचते तो यह बात वह नहीं उठा सकते थे। एक सोशलिस्ट के लिये यह बात शोभा की नहीं है। हां, राजा साहबान की तरफ से ऐसी बात हो तो वह उनको शोभा दे सकती थी लेकिन सोशलिस्टों की तरफ से ऐसे प्रस्तावों का आना उनका ऐसे भ्रमजाल में पड़ना जैसा कि माननीय तिवारी जी आज पड़ रहे हैं समझ में नहीं आता।

इसके साथ-साथ माननीय जोरावर वर्मा जी ने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, जो उन्होंने फेडरल और यूनिटरी टाइप आफ यूनिवर्सिटीज में बतलाया। उनका कहना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो वर्तमान कांस्टीट्यूशन है वह एक फेडरल टाइप का है, यूनिटरी टाइप का नहीं रहा है, डालडा बेंचा जा रहा है जब कि शुद्ध घी का लेबिल लगा हुआ है। इसमें यह बात कहां आती है कि शुद्ध घी का लेबिल लगा हुआ हो और डालडा बेंचा जा रहा हो। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में एक फर्क है। दोनों की क्वालिफिकेशन्स और हैं और वह फर्क मौजूद है, तब वह यूनिटरी रहेगा। उन्होंने कंफ्यूजन ऐडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल में कर दिया और दोनों

को ऐडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल से मिलाते नहीं तो वे यह बात नहीं कहते। यूनिटरी और फेडरल में फर्क यह होता है कि यूनिटरी में कंट्रोल सेंटर का होता है, केन्द्र तय करता है कि किस तरह का कंट्रोल हो, कहां पर कम, कहां पर ज्यादा, कहां पर सम्पूर्ण और कहां पर अंशतः। तो जब केंद्रीय कंट्रोल सारे कान्सटिट्यूशन में प्रवाह करे तो उसको यूनिटरी और जब कान्सटिट्यूशन के भाग को कंट्रोल करे तो वह फेडरल माना जाता है, यही दोनों में अन्तर है। परन्तु ऐडमिनिस्ट्रेशन पर वह कंट्रोल करे या न करे यह दूसरी बात है। नतीजा क्या हुआ? जब माननीय वर्मा जी ने देखा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन तो अलग-अलग है बस वह कंट्रोल तो भूल गये और यह नहीं समझा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग होते हुए भी कंट्रोल सब पर एक है और इस कंट्रोल का एक होना ही इस बात का सबूत है कि यूनिटरी टाइप आफ कांस्टीटच्यूशन है। इसकी एक मात्र करेक्टरस्टिक ही यह है कि इसमें कंट्रोल एक ही होता है और केन्द्र ही तय करता है कि कंट्रोल कहां पर कितना हो। वह यूनिटरी टाइप आफ कांस्टीटच्यूशन होगा जहां पर यह व्यवस्था हो। और जहां पर यह नहीं है और कांस्टीटच्यूशन स्वयं तय करे कि हम कितना कंट्रोल केन्द्र को दें तो वहां फेडरेशन कांस्टीटच्यूशन हो जायगा। इसका उदाहरण आज की कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड युनिवर्सिटियां हैं। वह फेडरेल टाइप की हैं। वह तय करती हैं कि कितना कंट्रोल केन्द्र को मिले। इसमें सत्ता कांस्टीटच्यूएट के पास रहती है और जितनी ताकत वह पार्ट करना चाहता है वह केन्द्र को दे देता है। तो लखनऊ युनिवर्सिटी ऐसी युनिवर्सिटी नहीं बनने जा रही है जैसी कि कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड युनिवर्सिटीज हैं। यहां पर कंट्रोल तो केन्द्र के हाथ में है वही सारी बातें तय करेगा। तो इसलिये यह कहना कि यह दालदा और देशी घी का झगड़ा पदा कर दिया, मेरी समझ में नहीं आ ता। मैं तो समझता हूं कि यह भ्रम सिर्फ यूनिटरी और फेडरेल के कैरेक्टर को न समझने के कारण ही पैदा हो गया है। यह यूनिटरी टाइप आप कांस्टीटच्यूशन जो है वह अपनी जगह पर है और इसके होते हुए भी वर्ड कांस्टीटच्यूएंट कई जगह पर इस्तेमाल हो गया है, लेकिन कंट्रोल चूंकि एक है इसलिये उसका यूनिटरी टाइप आफ कांस्टीटच्यूशन जो है वह बदला नहीं जा सकता। यह दूसरा सवाल था जिसकी मैंने सफाई दी।

अब सवाल यह है कि जो एफीलियेटेड कालेज हैं और जो कांस्टीटच्यूयेन्ट कालेज हैं उनके बारे में भी माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में यह कहा कि यह नई चीज क्यों पैदा कर दी गई। एक कालेज वह है कि जिसका प्राइवेट मैनेजमेंट है और दूसरे को गवर्नमेंट ने कायम किया है, अगर दोनों के लिये क्लियर कर दिया तो ज्यादा सफाई हो गई। तो जहां पर जरूरत है कि कोई कन्फ्यूजन न रहे ऐसी जगहों पर हमें इस तरह की सफाई का स्वागत करना चाहिये। तो उसी तरह पर जहां कांस्टीटच्यूएंट और एफीलियेटेड कालेज अलग-अलग कर दिये तो उसका हमें स्वागत करना चाहिये। कानून में जितनी ही सफाई से बात लिखी जाय उतना ही अच्छा है। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं ह कि जिसके ऊपर आपने इतना आसमान उठा लिया और कहा कि जो इलाहाबाद में नहीं है, लखनऊ में नहीं है और कहीं भी नहीं है तो इसमें उसको क्यों ले आये। तो यह कोई लाल झंडा तो नहीं है कि बैल के सामने उड़ाने से ही बैल भड़क जायगा। जहां माइंड है वहां नई चीज पैदा होगी और जहां हमने नई चीज एक पैदा की है तो उसका स्वागत करना चाहिये। अमीरों के साथ हमें गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिये। अगर कोई नई चीज में अच्छाई है और उसको हम मान सकते हैं तो उसके मानने में क्या बुराई है, मेरी समझ में नहीं आता।

अब सिर्फ यह बात रह जाती है कि एफीलियेटेड कालेजेज का स्टैंडर्ड गिर जायगा और आप युनिवर्सिटी का स्टन्डर्ड बहुत ऊंचा रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र से कहूंगा कि इसको आप दूसरे तरीके से सोचें कि एफीलियेटेड कालेज का स्टैन्डर्ड युनिवर्सिटी के साथ आने से ऊंचा हो जायगा। आप यही क्यों

[श्री नौरंगलाल]

कहते हैं कि उसका स्टैंडर्ड गिर जायगा? आप उल्टे ढंग से न सोचिये। लाजिक को कायदे से दूसरे तरीके से इस्तेमाल करिये। एक अच्छे और नेक आदमी के साथ बुरा आदमी अच्छा क्यों नहीं बनेगा, वह नेक और अच्छे आदमी को बुरा ही बना लेगा ऐसा सोचना ही क्या ठीक है? शिक्षित के साथ रहने से अशिक्षित भी शिक्षित क्यों नहीं हो जायगा? मैं समझता हूं कि बजाय अशिक्षित के शिक्षित होने के वह अशिक्षित ही शिक्षित होगा और उस शिक्षित व्यक्ति से फायदा उठा लेगा और अक्लमंद हो जायगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह एफीलियेटेड कालेज और कांस्टीटचूयेन्ट कालेज यदि यूनिवर्सिटी के संरक्षण में रहेंगे तो जैसी कि हवा यहां बह रही है कि उनका स्टैंडर्ड गिर जायगा उसके विपरीत उनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जायगा। जो शिक्षित हैं उनको उन व्यक्तियों से कि जो शिक्षित हो रहे हैं क्यों घबराहट है कि उनके कारण उनका स्टैंडर्ड गिर जायगा। तो इसलिये मेरी यह प्रार्थना है और मेरा यह सुझाव है कि इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिये, यों नहीं सोचना चाहिये कि चूंकि ऐसोसियेटेड कालेजेज में अच्छे प्रोफेसर्स नहीं हैं, उनकी सूझ बूझ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि यूनीवर्सिटी वालों की है, इसलिये वहां पर एजूकेशन का स्टैन्डर्ड गिर जायगा और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर चूंकि केन्द्र के शासन की व्यवस्था है, उसमें हर तरह का साधन मौजूद है, इसलिये वहां पर स्टैन्डर्ड ज्यादा रहेगा, यह गलत है। मेरी तो ख्याल है कि अगर उन पर कन्ट्रोल रखा गया तो कोई वजह नहीं है कि उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा न हो जाय और लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड गिर जाय।

फिर यह भी सोचना चाहिये कि आज कल के जमाने में जब शिक्षा का इतना प्रसार हो रहा है, लोगों में इतना शौक बढ़ रहा है, जो यहां एसोसियेटेड कालेजेज हैं उनको भी जो शिक्षा का दरिया बह रहा है उससे वह भी फायदा उठा सकें, उसमें एक चुल्लू पानी को वह भी ले सकें, तो अच्छा है। नहीं तो आगे दुनिया मजाक उड़ायेगी आपकी जमुना तो आगरा में बह रही है और गोमती लखनऊ में बह रही है और यहां का पानी छोड़कर आगरा जायं। तो इस तरह से जब लखनऊ में यूनिवर्सिटी, कालेज मौजूद हैं, शिक्षा का प्रबन्ध मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, ऐक्जामिनेशन मौजूद है और जायं आगरा के अन्दर। यह कैसी मजाक की बात है। इसलिये मैं इस बात को मुनासिब समझता हूं कि जहां तक एसोसियेटेड कालेजेज और कान्स्टीटचूयेंट कालेजेज का सवाल है, इनका स्टैन्डर्ड कम हो जायगा तो इसमें न पड़िये। इन कालेजेज का स्टैन्डर्ड गिरेगा नहीं और अगर गिरेगा तो व्यवस्था भी है उसकी। इसमें दिया गया है कि एफिलियेशन किसको दिया जाय, किसको न दिया जाय यह तो आपका केन्द्र तय करेगा जो कि यूनिवर्सिटी में है। यह तो यूनिवर्सिटी तय करेगी कि जिनका स्टैन्डर्ड अच्छा होगा उनको ऐफिलियेशन देगी और अगर गिरा हुआ है तो उनको नहीं देगी। तो फिर परेशानी की क्या बात है? इसलिये जहां ऐफिलियेटेड कालेजेज का सवाल है, इन तमाम को मौका दीजिये और देखिये कि वहां जो गरीब लड़के पढ़ने आयेंगे, वह इसलिये कि यूनिवर्सिटी की उतनी फीस पे करना वह अफोर्ड न कर सकेंगे, वह पढ़ने वाले होंगे, मेहनती होंगे, तो देखिये शायद वह लोग भी यूनिवर्सिटी के लड़कों के मुकाबले के नम्बर ला सकें, और मेरा तो ख्याल है कि शायद वह लोग ज्यादा ही लायेंगे, क्योंकि वह पढ़ने वाले होते हैं। तो शायद उस वक्त हम लोगों का मुंह बन्द हो जाय, जो हम यहां उनके विषय में क्रिटिसिज्म करते थे कि ऐसोसियेटेड कालेजेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। अब जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि यूनीवर्सिटी के स्टैन्डर्ड को आनर्स की डिग्री दी जाय और एसोसियेटेड कालेज के स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री ही दी जाय, तो यह असंगत सा मालूम होता है क्योंकि इम्तहान एक और सब कुछ एक है, फिर यह डिस्क्रीमिनेशन करना असंगत सा मालूम होता है। मैं समझता हूं कि जो उनका संशोधन है कि इस तरह से डिस्टिंग्युश कर देने से उनका मामला तय हो जायगा, तो मेरी समझ से ठीक नहीं होगा।

तिवारी जी का कहना है कि यूनीटरी रखें या फेडरल रखें और बीच की घसपस ठीक नहीं है । इसलिये मैं तो स.फ तरीके से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बेकार की परेशानियां हैं जो शायद ही कभी आपके सामने आवें। इसलिये मैं कहता हूं कि पीपुल्स यूनिवर्सिटीज को बनायें। और पहले जमाने में जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वग़ैरह थीं, उस जमाने में यह अब एरिस्ट्राक्रैट्स की यूनिवर्सिटी थी। अब वह बात नहीं रही वह पीपिल्स यूनिवर्सिटी है और जरूर कंट्रोल कर सकती है और हम चाहते हैं कि ठीक ढंग पर, डेमाक्रेसी में जैसी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिये वैसी हम इसको बनायें और नियंत्रण में रखें। जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेकनामियां हैं, वहां बदनामियां भी हैं, बिना पढ़े ही लड़के पास हो जाते हैं, तो उस कलंक के टीके को हम हटाना चाहते हैं। इसलिये हम मुनासिब समझते हैं कि इसको पीपुल्स यूनिवर्सिटी बनाया जाय और माननीय तिवारी जी ने जो अपने संशोधन रखे हैं वह उनको वापस ले लें और अगर वह सोशलिस्ट हैं और समझते हैं कि पीपुल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिये तो वह अवश्य अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, पहले जवाब हो जाय?

श्री अध्यक्ष—क्लोजर चूंकि हो गया, इसलिये वह बाद को बोलेंगे।

†**श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मुझे बड़ा दु:ख हुआ कि कुछ माननीय मित्रों ने मेरे संशोधन को पर्याय के समझने की पूरी चेष्टा नहीं की। शायद कुछ मित्रों को यह अन्देशा हुआ कि मेरे संशोधन को पास करने का अर्थ यह होगा कि हमारी शिक्षा एरिस्ट्रोक्रैटिक हो जायगी। कुछ मित्रों को उसमें सोशलिज्म के दर्शन नहीं हुए और एक आध मित्रों को गोमती और गंगा के पानी के बीच में चुनने की बात सी आ गयी। मैं सच कहता हूं, न तो मेरा संशोधन एरिस्ट्रोक्रेटिक विचार धारा से सम्बन्ध रखता था और न सोशलिज्म से दूरी का उसका सम्बन्ध था। मैं तो यह कहूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एक रूट ३४ साल से चलता आया है उसको हम एक नया मोड़, एक ऐसी दिशा को दे दें जिससे शिक्षा के वर्तमान स्तर का जैसा कि वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर पाया जाता है उससे कम होने का अन्देशा हो, ऐसा कोई कदम हमको नहीं उठाना चाहिये। इस में और एरिस्ट्रोक्रेटिक एजूकेशन के सिद्धान्तों में बहुत बड़ा फर्क है।

मेरे मित्र नौरंगलाल जी को कुछ गलतफहमियां हो गयीं। उनका कहना यह है कि आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों में एरिस्ट्रोक्रेटिक एजूकेशन होती है और अगर यहां की यूनिवर्सिटियां भी उनकी नकल कर लें तो यहां की शिक्षा जनता जनार्दन तक तो पहुंच ही नहीं पायेगी और फ्री एजूकेशन इत्यादि, न मालूम क्या-क्या कह डाला। मैं माननीय नौरंगलाल की सूचना के लिए बतलाऊंगा कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की नकल करना तो इस सरकार के लिए कम से कम बहुत ही असम्भव है। वहां तो अगर देखा जाय तो ८० फीसदी विद्यार्थियों को, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते उनका सारा ख़र्चा सरकार बरदाश्त करती है और यहां तक कि अगर किसी विद्यार्थी का विवाह न हुआ हो तो उसको साल में ३०३ पौंड मेंटिनेंस के लिए और ८० पौंड ट्यूशन और एग्जामिनेशन के लिए स्कालरशिप मिलता है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अगर विवाहित विद्यार्थी रहता है तो उसके लिए एक बच्चे तक के लिये गुंजायश है। उसको ४२६ पौंड मेंटिनेंस के लिए और ८० पौंड फीस के लिए मिलता है। ऐसी आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की नकल तो सालों तक हमारी यूनिवर्सिटियां नहीं कर पायेंगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—करनी भी नहीं चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ठीक इसी प्रकार, आगे चल कर जो उन्होंने बतलाया कि दूरी आगरा से कितनी हो जायगी लखनऊ की और लखनऊ से आगरे को सम्बन्धित करना कि लखनऊ में विश्वविद्यालय होते हुए आगरे जाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे। क्योंकि यह आज के लिये नहीं है। मैंने इसे फिर से गौर से देखा तो इसमें लिखा है कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की बैठक ४ बजे तक रहे और कल से २८ तारीख तक केवल ४ बजे तक रहे, इत्यादि।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे लिये आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की नकल करना तो असम्भव है क्योंकि वहां जो गरीब अविवाहित विद्यार्थी हैं उनको ३०३ पौंड मेन्टिनेंन्स के लिये और ६० पौंड फीस के लिये मिलते हैं और जो विवाहित हैं उनको ४२६ पौंड मेन्टिनेंस के लिये और ८० पौंड फीस के लिये मिलते हैं। तो इतनी अधिक सुविधा देना तो हमारे लिये असम्भव है। इसलिये अगर हम चेष्टा भी करें तो उनकी नकल नहीं कर सकते हैं।

माननीय नौरंगलाल जी ने दूरी का प्रश्न भी उपस्थित कर दिया कि लखनऊ के विद्यार्थियों को क्या आवश्यकता है कि आगरा या कानपुर में उनका एफिलियेशन हो। श्रीमन्, पहली बात तो इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि आगरा से एफिलियेटेड करने का मतलब यह नहीं है कि किसी विद्यार्थी को आगरा जाकर पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उसका अर्थ तो यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी के मातहत इम्तहान होगा। कालेज वहीं रहेगा। कान्यकुब्ज कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलियेट न होकर आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेट हो जाय तो फर्क यही पड़ेगा कि आगरा यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी बजाय लखनऊ यूनिवर्सिटी के। कान्यकुब्ज कालेज तो अपनी जगह पर रहेगा। माननीय नौरंगलाल जी को गोमती और गंगा का पानी सूझने लगा। कालेज तो अपनी जगह पर रहेगा केवल डिग्रियों और स्टैंडर्ड का फर्क रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर नौरंगलाल जी के तर्क को मान लिया जाय फिर तो गोरखपुर, बस्ती और अल्मोड़ा के डिग्री कालेजों को लखनऊ से मिला देना चाहिये, क्योंकि लखनऊ ज्यादा नजदीक है बजाय आगरा के। गोंडा का कालेज आगरा से सम्बन्धित है। ऐसे ही गोरखपुर का कालेज भी आगरा से सम्बन्धित है। तो इन सब को लखनऊ से मिला देना चाहिये। दर असल में दूरी का विषय गौण है। चूंकि आगरा यूनिवर्सिटी एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी थी, इसलिये गोरखपुर, अल्मोड़ा वगैरह चाहे कितनी दूर हों, उनको आगरा से सम्बन्धित किया गया और राजस्थान और मध्य भारत, दूसरे प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज को भी आगरा से एफिलियेट किया गया। इसलिये कोई दरी

का प्रश्न नहीं उठ सकता और लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा, माननीय गुप्ता जी अगर सुनें तो मैं उसे बता दूं वह इस प्रकार है :—

" Section 3 of the proposed Bill : The Committee is not in favour of the definition of Associated Colleges and Constituent Colleges as proposed. The existing definition of 'college' in the Act with slight modification would do. The Committee feels that the existence of a number of Associated Colleges may ultimately change the character of the University."

यह एग्जिक्यूटिव कौंसिल की लिखी हुई सिफारिश हमारे पास विद्यमान है। मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि अगर वे हमारे निवेदन पर और अधिक विचार न करें तो कम से कम अपनी ही एग्जिक्यूटिव कौंसिल जिसकी वह इतनी कद्र करते हैं और जिस यूनिवर्सिटी की एग्जिक्यूटिव कौंसिल के ९८ प्रतिशत टीचर्स को वे प्रणाम करते हैं और हम भी प्रणाम करते हैं, उनकी एक मत से दी गई राय को वे मान लें तो वे बधाई के पात्र होंगे।

*अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी सदन के सामने माननीय नारायण दत्त जी के द्वारा विचारार्थ उपस्थित किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। जिन धारणाओं से प्रेरित होकर उन्होंने सदन के विचारार्थ यह संशोधन उपस्थित किया है मैं उन भावनाओं का समर्थक हूं और उनसे सहानुभूति भी रखता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि तिवारी जी ने इस विषय के ऊपर काफी अध्ययन भी किया है और अपना समय उन पत्रों के अध्ययन करने में व्यतीत किया है जिनमें यूनिटरी और टीचिंग विश्वविद्यालयों के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिये यह विद्यमान है। उनके इस अध्यवसाय, उनकी उन आदर्शवादी भावनाओं के लिये जिनको उन्होंने सदन में व्यक्त किया है मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि यह एसोसिएटेड कालेजेज और कांस्टीटुएंट कालेजेज की जो डेफिनीशंस है वे इसी कारण से रखी गयी हैं। अगर उन्होंने मौजूदा अधिनियम का अध्ययन किया होगा तो देखा होगा कि उस अधिनियम के तहत में जो धारा २ में कालेज की परिभाषा दी गयी है उस परिभाषा में दिया हुआ है कि मौजूदा अधिनियम की तहत में कालेज का क्या स्वरूप होना चाहिए और 'कालेज' शब्द के मानी अधिनियम के तहत में क्या हैं। मौजूदा अधिनियम में कालेज एक सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शन का केन्द्र होने के अलावा जो कि कालेज में प्रदान की जायगी एक रेजिडेंशल यूनिट भी है। अगर वे लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास के इतिहास की तरफ नजर डालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यद्यपि कालेज की डेफिनीशन इस अधिनियम में ऐसी संस्था की थी जो कि सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शन का एक केन्द्र था और रेजिडेंशल एक यूनिट भी थी, परन्तु हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास के जमाने में देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने तहत में कुछ ऐसे कालेजों को भी मान्यता प्रदान की जो न तो रेजिडेंशल यूनिट थे और न सप्लीमेंटरी टीचिंग ही प्रदान करते थे। ईजाबेला थाबर्न कालेज का जो कि अपने प्रदेश की एक मुख्य शैक्षिक संस्था है, उदाहरण हमारे सामने है। उसके अलावा इस्लामिया कालेज, शिया कालेज और अन्य कालेज भी हमारे सामने उदाहरण हैं। यद्यपि मौजूदा अधिनियम इस बात की विश्वविद्यालय को इजाजत नहीं देता था तो भी विश्वविद्यालय ने कालेज के मानी अपने ढंग से लगा कर इन कालेजेज को वर्षों से मान्यता प्रदान कर रक्खी है। अभी दो तीन वर्षों के अन्दर और कालेजेज को भी स्वयं विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और उसके अध्यापकों ने मान्यता दे रक्खी है। मैं स्वयं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में अधिक टीचिंग और रेजिडेंशियल यूनिट्स वाली यूनिवर्सिटीज स्थापित हों, परन्तु ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये धन की अधिक आवश्यकता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

टीचिंग और रेजिडेंशियल यूनिट्स वाले दो विश्वविद्यालय हमारे ही प्रदेश में स्थापित हुए। सेडलर कमीशन की सिफारिशों के बाद यद्यपि सेडलर कमीशन की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये की गई थी और जो सिफारिशें सेडलर कमीशन ने की थीं वे सिफारिशें उसी विश्वविद्यालय के लिये ज्यादा अच्छी बताई गई थीं. परन्तु उस विश्वविद्यालय ने और देश के अन्य विश्वविद्यालयों ने सडलर कमीशन के तहत में जो सिपारिशें की गई थीं उनको कहीं भी मान्यता नहीं दी और उसके बताये हुए बहुत से सुझावों पर अमल नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में था जिसने सेडलर कमीशन की सिपारिशों को मानते हुये अपने प्रदेश में दो विश्वविद्यालयों की रचना उसके बताये हुये आधारों पर की। परन्तु जब सेडलर कमीशन ने सिपारिश की थी और उसकी सिपारिशों की तहत में इस प्रकार से दो रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय हमारे बीच में स्थापित हुए थे, उस समय जो देश की हालत थी और आज जो देश की हालत है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। मुझे उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। उस समय विश्वविद्यालय में बहुत थोड़े विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बहिनों की संख्या तो बहुत ही कम हुआ करती थी और बहुत से जाति बिरादरी के भी अपने देश में झगड़े थे और गरीबी भी अपने प्रदेश में ऐसी थी जिससे लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये अवसर नहीं प्राप्त कर पाते थे, परन्तु आज तो हालत बिल्कुल बदली हुई है। आज तो जैसा कि मैंने कल भी बतलाया था, सब जगह उच्च शिक्षा की मांग है और प्रत्येक लड़का लड़की जो किसी प्रकार से थोड़े साधन मुहय्या कर लेता है वह इस बात की ख्वाहिश रखता है कि उसे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। जब विश्वविद्यालय और सरकार उतनी संख्या में विद्यार्थियों के लिये प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं और लोग और संस्थायें शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये, सहायता देने के लिये उद्यत हैं तो क्या कारण है कि हम ऐसी संस्थाओं से मदद न लें और उनके द्वारा शिक्षा प्रदान कराने का प्रबन्ध न करायें? लखनऊ विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिये शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध नहीं था, उसी कारण से लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज से २०–२५ वर्ष पहले २०-२५ वर्ष पहले ही क्यों जहां तक मुझे याद है १९२४–२५ से आई० टी० कालेज को एक एसोसियेटेड कालेज की मान्यता प्रदान कर दी और १९४८ के बाद आचार्य नरेन्द्र देव के जमाने में जब वे वाइस चांसलर थे इस नगर की और संस्थाओं की मान्यता प्रदान की, इसलिये कि विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को जगह नहीं दे सकता था जो शिक्षा प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय के अन्दर आते थे। जो यह मौजूदा विधेयक में एसोसियेटेड कालेजेज और कांस्टिटचूएंट कालेजेज की परिभाषा रक्खी गई है वह उस वास्तविकता को एक रूप प्रदान करने के लिये रखी गयी है जो वास्तविकता के रूप में आज आई० टी० कालेज, शिया कालेज, इस्लामिया कालेज, और क्रिश्चियन कालेज और अन्य कालेज जो इस नगर में स्थापित हैं और जिनको विश्वविद्यालय ने मान्यता शिक्षा प्रदान करने की दे रखी है; तो आज उनको एक कानूनी जामा पहनाने के लिये इस विधेयक की उस धारा में कुछ परिवर्तन किया गया है और उस धारा के तहत में एसोसियेटेड कालेज और कांस्टीटचूएन्ट कालेजेज को मान्यता देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

जहां तक एकेडेमिक बहस का सम्बन्ध है कि हमारे बीच में ऐसे विश्वविद्यालय होने चाहिये जहां पर टीचिंग और रेजिडेंशियल दोनों काम विश्वविद्यालय के तहत में हो सकें, इसमें हमारे और माननीय तिवारी जी के बीच में कोई अन्तर नहीं है। मैं स्वयं समझता हूं कि अधिक संख्या में हमारे प्रदेश में इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित हो जायं तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे विद्यार्थियों को एक नयी

ज्योति और नया जीवन प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन आज हमको असलियत का मुकाबला करना है और उससे मुंह मोड़ना नहीं है। महज एकेडेमिक बहस करें और उन साधनों को मुहय्या न कर पायें या उन पर अमल न कर पायें और अकर्मण्य व्यक्ति की तरह से बैठे रहें तो क्या यह बुद्धिमानी की निशानी होगी? आज वास्तविकता यह है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाती है। महिलायें भी आज विश्वविद्यालय के तहत में अधिक संख्या में पढ़ना चाहती हैं। यदि सरकार और विश्वविद्यालय उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था न कर पायें तो यह कौन सी समझदारी की बात है? प्रश्न यह उठता है कि आज हम वह मान्यता लखनऊ विश्वविद्यालय की तहत में न दें तो वह मान्यता आगरा विश्वविद्यालय के तहत में दें। आप जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी अपने प्रदेश में कितनी लम्बी चौड़ी यूनिवर्सिटी है और उसका कितना लम्बा दायरा है और कितने एरिया में वह फैली हुई है। क्या यह राजनैतिक दूरदर्शिता होगी कि एक संस्था इतनी बढ़ जाय कि वह अपना इन्तजाम भी न कर पाये और उसको और बढ़ाते चले जायं और वहां विद्यार्थियों की संख्या हजारों की तादाद में बढ़ाते चले जायं और इस तरह से एक केन्द्रीय स्थान से इन्तजाम कर दिया जाय जो इन्तजाम सफलता को परिवर्तित न हो सके और जिसमें असफलता ही हमको दिखाई पड़े और सरकार को यह निर्णय करना पड़े कि आया इन स्थानों पर जहां पर विश्वविद्यालय ने स्वयं मान्यता कुछ संस्थाओं को दे रखी है सरकार कानूनन उन्हें मान्यता देने का प्रबन्ध करे? मैंने अभी बताया कि मौजूदा अधिनियम में कालेज की परिभाषा जो थी उसके तहत में मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं था परन्तु इसमें वकीलों की दो रायें हो सकती हैं और विश्वविद्यालय को एक प्रकार की राय एक वकील ने दी कि वह इस प्रकार की मान्यता दे सकते हैं। इस सरकार ने व्यावहारिक रूप में उन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करके और उन एसोसियेटेड कालेजों को बी० एस० बी० एस०-सी० की डिगरी प्रदान करने का अवसर प्रदान कर दिया। आज अगर यह सरकार इस विधेयक के द्वारा भ्रम दूर करना चाहती है और इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का यह प्रबन्ध करती है तो यह पीछे हटने का कदम नहीं है। लेकिन वह मान्यता विश्वविद्यालय ने दी और उसने शिक्षा देने का आज अवसर प्रदान किया, वह खुद उसने किया।

माननीय तिवारी जी ने हमारा ध्यान कार्यकारिणी की प्रोसीडिंग की तरफ आकर्षित किया जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी है कि इस विषय पर उनको विचार कर लेना चाहिये। मैंने भी उस कार्यकारिणी की कार्यवाही को देखा है और मैं जानता हूं कि हमारे एक मित्र डा० आर० यू० सिंह का यह कथन था कि कालेज की परिभाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उन कालेजेज को जिन्हें मान्यता दे रखी है अपना मतलब सीधा कर सकेंगे और सात्विक ढंग से विश्वविद्यालय की उस रूपरेखा को जो कि वास्तविकता से दूर थी छिपाकर रख सकेंगे। सरकार को उसके विशेषज्ञों ने सलाह दी कि जो वास्तविकता है उसकी रूपरेखा क्यों न इस विधेयक में कर दें। विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने जो वकालत के पेशे से भी संबंध रखते हैं हमें सलाह दी है कि जिन कालेजों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान कर रखा है, मान्यता दे रखी है और जिस देना भी चाहते हैं, तो यह एक ऐसी छोटी सी बात है कि हम असलियत को क्यों छिपावें और जो वास्तविक रूप है वह सदन के सामने क्यों न उपस्थित कर दें। इसीलिये यह एसोसियटेड कालेज की और कन्स्टीटयूऐंट कालेज की परिभाषा हमने इस रूप में रखी है, जिसे माननीय तिवारी जी नहीं मानते हैं, वे आदर्शवादी हैं और उनके आदर्शवाद के लिये, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि समय का तकाजा भी है कि वह आदर्शवाद की दुनिया में रहें। लेकिन ज्यों ज्यों उनकी उम्र ढलती जायगी उन्हें वास्तविकता

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

का मुकाबला करना होगा और अपने आदर्शवाद में समयानुसार थोड़ा परिवर्तन करना होगा। आज समयानुसार यदि मैं अपनी इस जगह से खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मैंने यह मुनासिब समझा कि जो असलियत हैं उसका स्वरूप ठीक तरह से इस सदन के सामने उपस्थित कर दिया जाय। तो आज यह एसोसियेटेड कालेज और कान्स्टीट्यूएंट कालेज की परिभाषा उसका फल है।

जहां तक उनके एतराज का कान्स्टीट्यूएंट कालेज से संबंध है तो उसके विषय में मैं दो लफ्ज कहना चाहता हूं। कान्स्टीट्यूएंट कालेज अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक ही स्थापित हुआ है और वह है आयुर्वेदिक कालेज। लेकिन मेरी ऐसी अवश्य अभिलाषा है कि इस विश्वविद्यालय के तहत में और भी कान्स्टीट्यूएंट कालेज स्थापित होंगे। आखिर लखनऊ में आज एक वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट की स्थापना हो चुकी है जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में कार्य और अनुसंधान कर रहा है। क्या वजह है कि वह हमारे बीच में शीघ्र न आ जावे? एक टैक्निकल स्कूल भी शिक्षा प्रदान कर रहा है। सन् १९३८ में हमने यह अभिलाषा एक प्रस्ताव के रूप में प्रकट की थी कि लखनऊ के विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, फाइन आर्टस और म्यूजिक की फैकल्टियां भी स्थापित हों। हमें पता है कि लखनऊ में एक म्युजिक कालेज है जिसे केंद्रीय सरकार भी कुछ सहायता दे रही है। लखनऊ में एक आर्ट्स स्कूल स्थापित है। तो क्यों न इन स्कूलों को हम शीघ्रता के साथ कालेजों के रूप में परिणित कर दें? जब हम ऐसा विचार करें, या विश्वविद्यालय करे, यह सरकार करे, तो उन इंस्टीट्यूशंस को जिनके पास साधन भी होंगे और उत्तम शिक्षक भी होंगे और जो उन एसोसियेटेड कालेजों से जो प्राइवेट तहत में चल रहे हैं भिन्न होंगे, तो उन्हें क्यों न कान्स्टीट्यूएंट कालेजों का रूप दें?

लखनऊ के आयुर्वेदिक कालेज के संबंध में कहा गया कि सरकार उसे विश्वविद्यालय को क्यों नहीं दे देती। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमने जब आचार्य नरेंद्रदेव यहां थे उनके कहने के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक आयुर्वेदिक फैकल्टी की स्थापना की और एक आयुर्वेदिक कालेज चलाना चाहा,परन्तु दुर्भाग्य से मुझे सदन से यह निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारी वह योजना असफल हो गयी। मेडिकल कालेज के साथ-साथ जो हमने आयुर्वेदिक कालेज को रक्खा तो एलोपैथिक प्रथा को मानने वाले डाक्टरों ने इस चीज को पसन्द नहीं किया। कहा यह जाता है कि डाक्टरों की वजह से यह योजना नहीं चल पायी लेकिन वास्तविकता यह है कि आयुर्वेदिक कालेज ही नहीं चल पाया। लेकिन मैं सदन को वचन दे चुका था कि नगर में एक आयुर्वेदिक कालेज चलाया जायगा। लेकिन विश्वविद्यालय की तहत में उसका चलना असंभव हो गया था इसलिये हमने उसके बारे में निर्णय किया कि उसको सरकार के तहत में चलाया जाय, क्योंकि इस सदन के सामने मैं वचन दे चुका था, आयुर्वेदिक प्रैक्टीशनर्श को वचन दे चुका था और इसलिये लखनऊ में ही सरकार ने एक आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की। यद्यपि अभी उसकी इमारत पूरी नहीं बन पायी है फिर भी ३–४ लाख रुपये की इमारत बन गयी है और अगले साल होस्टल और लेबोरेटरी बनाने के लिये रुपया रक्खा गया है। फिर उसको हम अगर कांस्टीटुयेंट कालेज का रूप देना चाहते हैं तो फिर क्या ऐतराज हो सकता है? एसोसियेटेड कालेजेज जो प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाये जाते हैं, जिनके पास पूर्ण रूप से साधन नहीं होते, उनमें और जो सरकार द्वारा संचालित होता है, जिसके पास साधनों की कोई कमी नहीं होती, अध्यापकों और विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं होती, तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम उसको कांस्टीट्यूएंट कालेज करना चाहें तो क्या अड़चन है? जब वह एसोसियेटेड कालेजेज से भिन्न है तो फिर अगर उसका भिन्न नाम हम रखना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जहां राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट का कांस्टीटुयेंट कालेजेज और ऐसोसियेटेड कालेजेज का जिक्र किया गया है उसमें बताया गया है कि ऐसे कालेजेज भी हो सकते ह। माननीय तिवारी जी ने भी उसमें यह पढ़ा होगा कि बाम्बे विश्वविद्यालय के तहत जो शिक्षा कमेटी बनी थी उसने स्वयं जब अहमदाबाद यूनिवर्सिटी बनी और पूना में बनने की संभावना हुई तो जो कालेज बाम्बे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में थे उनको कांस्टीटुयेंट कालेज बनाने का सुझाव दिया। इसलिये यदि

हमने कांस्टीट्यूंट कालेज नाम का नया नाम देकर उनको नयी परिभाषा के तहत में रख रहे हैं तो हम क्या खराब काम कर रहे हैं ? यह भी वास्तविकता की बात होगी कि यहां पर ऐसे ही म्यूजिक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और आर्ट कालेज, कांस्टीट्यूंट कालेज बनाये जायं जो कि सरकार द्वारा संचालित हों और जिनके पास साधनों की कोई कमी न हो। इसलिये इनका रूप जब कि एसोसियेटेड कालेजेज से भिन्न है तो उनकी परिभाषा भी भिन्न ही होनी चाहिये।

माननीय तिवारी जी ने यह भी कहा कि वे एसोसियेटेड कालेजेज को इसलिये नहीं चलाना चाहते हैं कि उससे विश्वविद्यालय का स्तर गिर जायगा। मैंने कल भी उत्तर देते हुये यह कहा था कि जितने भी एसोसियेटेड कालेजेज हैं उनके अध्यापक यूनिवर्सिटी द्वारा ही नियत किये जायेंगे। विश्वविद्यालय की एक सेलेक्शन कमेटी होगी जिसकी इजाजत से इन संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति होगी। जो कमेटी विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करेगी वही इन कालेजेज के अध्यापकों की भी नियुक्ति करेगी। इसलिये उनकी नियुक्ति में किसी तरह का फर्क नहीं हो सकता।

जहां तक ऐकेडेमिक विषयों का संबंध है कि क्या कोर्सेज वहां होने चाहिये, यह भी विश्वविद्यालय की ऐकेडेमिक कौंसिल द्वारा निर्धारित किया जायगा। कालेजेज को कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं दिया गया है। एक प्रिंसिपल उन कालेजेज का, जहां के विद्यार्थी वहां अध्ययन कर रहे होंगे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठ सकेगा। उनका रेप्रेजेंटेशन बहुत कम होगा, बनिस्बत उस रेप्रेजेंटेशन के जो कि विश्वविद्यालय का होगा। तो जहां तक एकेडेमिक विषय का संबंध है वे तो सारे विश्वविद्यालय के द्वारा ही संचालित होंगे। तो फिर स्तर के नीचे गिरने का प्रश्न कैसे उठता है ? हां, एक बात है और वह यह कि जो प्राइवेट कालेज हैं उनके पास साधन कम हैं। वे अपने अध्यापकों को उतनी तनख्वाह नहीं देते हैं जितनी तनख्वाह आपके विश्वविद्यालयों के आध्यापकों को दी जाती है। यह हमारे लिये दुर्भाग्य का विषय है कि एक ही शहर में अध्यापक एक ही प्रकार का काम करें लेकिन उन्हें दो प्रकार की तनख्वाह इस शहर में मिले। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह हमारी दिक्कत के कारण ही है कि हम उतना रुपया जितना टीचिंग यूनिवर्सिटी के लिये अध्यापकों पर व्यय करते हैं, प्रत्येक अध्यापक के लिये नहीं प्रदान कर सकते। आपको यह जान कर तो खुशी ही होगी कि आज जो लखनऊ यूनिवर्सिटी तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यापक तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, आप सारे देश में घम आइये, जितने विश्वविद्यालय हैं उनके अध्यापकों की तनख्वाह से बहुत अधिक है। आज लखनऊ मेडिकल कालेज के अध्यापकों की तनख्वाहों का पड़ोस के बिहार के मेडिकल कालेज के अध्यापकों की तनख्वाहों से मुकाबला करें कि वहाँ के अध्यापकों को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं। आज मद्रास के अध्यापकों की तनख्वाह और लखनऊ तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को जो तनख्वाह दी जाती है उसका मुकाबला करें तो उससे यह पता चल जायगा कि इस प्रदेश की सरकार अपने अध्यापकों का पूरे तौर पर मान करती है और अध्यापकों का ख्याल रखती है और बाहर के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे अधिक तनख्वाह ही अपने अध्यापकों को देती है। आज अगर कोई यह कहे कि यहां अध्यापकों की कोई खातिर नहीं की जाती है या जो उनके अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने की चेष्टा नहीं की जा रही है तो मैं कहूंगा कि यह बात सत्य से परे है। हो सकता है कि आज हम अपने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को उतनी लम्बी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जितनी कदाचित् बड़े-बड़े विशेषज्ञों को रूस और पश्चिमी विदेशों के अध्यापकों को मिलती है, लेकिन हमको यह भी स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि हमारी आमदनी तो उतनी नहीं है जितनी कि विदेशों की है, जितनी अन्य प्रगतिशील देशों की बतलायी जाती है और जो दुनिया का कई मानों में, कई स्थानों में नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तरोत्तर हमको तरक्की करनी पड़ेगी और कदाचित् हमको यह संभव बनाना होगा और यह सम्भव करना होगा कि हमारे भी अपने इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक उतनी ही लम्बी तनख्वाह विशेषज्ञों के रूप में प्राप्त कर सकें। बहरहाल, तनख्वाह के प्रश्न से इस समय कोई संबंध नहीं है, यह तो मैंने इसलिये छेड़ा कि अक्सर यह बात कही जाती है कि विश्वविद्यालयों में यहां के अध्यापकों की खातिर नहीं होती है। मैं यह कहना

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

चाहता हूं कि जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, हम अध्यापकों के प्रति आदर ही नहीं करते हैं, श्रद्धा ही नहीं करते हैं, बल्कि मैं तो उस दल से संबंधित हूं जिसने एक गरीब अध्यापक को अपना मुख्य मंत्री बनाया है। क्या एक अध्यापक को मुख्य मंत्री बना कर इसमें संदेह प्रकट किया जा सकता है कि अध्यापकों की खातिर नहीं होगी और उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं प्रकट किया जायगा ? इस सदन में कम से कम इधर बैठने वाले व्यक्तियों की भावनाओं को यदि आप समझते हैं तो माननीय सम्पूर्णानन्द की नियुक्ति ने जो हमारे बीच में अध्यापक रहे हैं और अपने विषय के पंडित रहे हैं, इस बात का परिचय दे दिया है कि यह कांग्रेस संस्था किस तरह से उन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के प्रति श्रद्धा रखती है और उनका मान बढ़ाने की चेष्टा करती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एकेडेमिक बहस है, एसोशिएटेड कालेज को मान्यता देनी चाहिये। कंस्टीटुएंट कालेज को बीच का विषय नहीं बनाना चाहिये। यह एक बिलकुल एकेडेमिक बहस है। एकेडेमिक बहस से हम अपनी समस्या को सुलझा नहीं सकते हैं, शिक्षा की समस्या हमारी बढ़ती ही जाती है और अगर बृद्धि है तो १० सवा १० करोड़ के बजट से वे साधन मुहइया नहीं कर सकते हैं, जो टीचिंग यूनिवर्सिटी और युनिवर्सिटी में होने चाहिये। आप मानते हैं कि टीचिंग यूनिवर्सिटी और यूनिटरी यूनिवर्सिटी में बड़ी-बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं, अनुसंधानशालाएं होती हैं, बड़े-बड़े पुस्तकालय होते हैं जहां विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का अवसर रहता है। और इन एसोशियेटेड कालेजेज के पास इतने साधन नहीं हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि अगर एक चीज हमारे पास इतनी मात्रा में आज नहीं है तो इस कारण से हम शिक्षा के विस्तार का प्रबन्ध ही न करें ? मैं कम से कम इन भावनाओं से प्रेरित नहीं रहता हूं। आज जो असलियत है जो वास्तविकता है उसका मुकाबला हमें करना चाहिये और एकेडेमिक बहस में पड़कर हमें इस मामले को नहीं देखना चाहिये और अनुसंधान करने के साधनों की बात कह कर हम इस वास्तविकता से मुंह मोड़ते रहे तो ठीक न होगा। इसलिये यह डेफिनिशन जो एसोशियेटेड कालेज और कांस्टीटुएट कालेज की रखी गयी है वह उचित है और उसका विरोध करना निरर्थक प्रतीत होता है, क्योंकि अगर हम इन कालेजों की स्थापना करके समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो शिक्षा का विस्तार आज की स्थिति में संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा का प्रसार हुआ है उसका बहुत कुछ श्रेय प्राइवेट संस्थाओं को है जिनको उनके संचालकों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देकर अपने परिश्रम से स्थापित किया था और चलाया था। आज से ५-७ साल पहले अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट स्कूल मुश्किल से एक स्थान पर होता था, लेकिन क्या वे थोड़े से गवर्नमेंट स्कूल आज की शिक्षा की समस्या का निराकरण कर सकते थे ? क्या वे इतने विद्यार्थियों का दाखिला कर सकते थे जितने विद्यार्थी आज दाखिल होने की चेष्टा करते हैं? आज वे यदि उस समस्या को हल करने में हमारा हाथ बटाते हैं और हम ऐसा मौका पा रहे हैं तो हमें उससे भागना नहीं चाहिये और इसलिये इस विधेयक में जो डेफिनिशन एसोशियेटेड कालेज और कांस्टीटुएंट कालेज की रखी गई है उसको सदन को स्वीकार करना चाहिये और किसी को उसका विरोध नहीं करना चाहिये। एकेडेमिक ढंग की बहस एक दूसरी चीज है और असलियत और वास्तविकता का मुकाबला करने का ढंग दूसरा है। हमारे देश में शिक्षा की मांग बराबर बढ़ती जा रही है और उसको हमारे मौजूदा विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

एक बात के ऊपर और जोर दिया गया और कहा गया कि इन कालेजज को आगरा विश्वविद्यालय में क्यों न जोड़ दिया जाय। मैंने उसका उत्तर भी दिया था कि आगरा विश्वविद्यालय एक बहुत लम्बा-चौड़ा विश्वविद्यालय बन गया है। इस प्रदेश के ५४ डिग्री कालेज आगरा यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और इनके अलावा कुछ और मध्यभारत और इन्दौर के कालेज भी हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी से एसोशियेटेड हैं। जिस विश्वविद्यालय पर इतना भार पहले से ही है उसके भार को और भी गुरुतर करते जाना, बढ़ाते जाना, मैं समझता हूं कि वहां की शिक्षा के लिये श्रेयस्कर न होगा। इससे पहले जो कुरीतियां उस विश्वविद्यालय

में आ गई थीं, उनके निराकरण के लिये एक बिल लाया गया था और हम अब पुरानी गलती को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जो बातें विदेशों के विश्वविद्यालयों के सिलसिले के कही गई हैं उनका कोई भी असर हमारा वास्तविकता से लड़ने का जो ढंग है उस पर पड़ता है, और अगर नहीं पड़ता है तो इस तरह से केवल एकेडेमिक रूप से इन कोटेशन्स को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो विचाराधारा यहां प्रकट की गई है, वह ठीक हो सकती है, मैं उसका कब विरोध करता हूं? यदि साधन उपलब्ध हों तो मैं भी अपने प्रदेश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित कर दूं जहां प्रत्येक विद्यार्थी वहां का रेज़ीडेंट बनकर शिक्षा-काल में वहीं सारा समय व्यतीत कर सके। आज उसी को संभव करने के लिये हमने इस विधेयक की इस धारा में यह रूप दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय तिवारी जी इन तमाम बातों को सुनने के बाद अपने इस संशोधन को सदन के सामने प्रेस करने की चेष्टा नहीं करेंगे और मेरी बातों को सुनने के बाद और इस विचारधारा पर पुनः विचार करने के बाद उसे वापस ले लेंगे और जिन कारणों से जिन प्राब्लम्स का सामना करने के लिये हमने यह धारा उपस्थित की है उसका विरोध नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinaces" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degerees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University, an Associated College or a Constituent College or carried on research in the University or a Constituent College, under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in his behalf, or

(*c*) shall have carried on research in an institution recognized in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and Ordinances,

and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(३) उपधारा (4) निकाल दी जाय।

(४) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(8) to maintain Constituent Colleges and Halls and to recognize Associated Colleges and Halls not maintained by the University."

(५) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (8-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(8-*a*) to inspect Associated Colleges and recognized Ha lls."

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'degrees' के पश्चात् शब्द 'diplomas' जोड़ दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "degrees" के पश्चात् शब्द "diplomas" जोड़ दिया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपायक्ष— प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ६ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "conducted by theUniversity" और पुनः शब्द "conducted in the University" के पश्चात् शब्द "or an Associated College or a Constituent College" बढ़ा दिये जायं।

२) उपधारा (३) में शब्द "Ordinances and" के पश्चात् शब्द "subject thereto by" बढ़ा दिये जायं।

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(4) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under his authority of his University in a Hall.

Teaching given by the teachers of Associated College or a Constituent College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or Constituent College or in a residential unit attached to it or in another Associated or Constituent College or in the University under an arrangement made between such Associated or Constituent College or with the University.

श्री रामलखन (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (1) के प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर उपधारा को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय।

"Teaching in courses prescribed for the degrees of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations."

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर उपधारा को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:--

"Teaching in courses prescribed for the degrees of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं :--

खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित को नये उपखंड (४) के रूप में जोड़ दिया जाय:-

"(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (4-A) जोड़ दी जाय:--

"(4-A) Where attendance at a course of instruction is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such condition shall include provision for attendance at instruction, referred to in sub-sections (1) and (4)."

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित को नये उपखंड (४) के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (4-A) जोड़ दी जाय:--

"(4-A) Where attendance at a course of instruction is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University such condition shall include provision for attendance at instruction, referred to in sub-sections (1) and (4)."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ७ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Visitation. 7. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then with in such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may,after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

खंड ७ में प्रस्तावित धारा की उपधारा ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इसको ऐसे ही मंजूर कर लेता हूं । यद्यपि यह बिल्कुल तो नहीं माना गया था, लेकिन मैं इसको यहां माने लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा की उपधारा (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं —

खंड ७ में प्रस्तावित धारा 7 में जहां-जहां शब्द 'State Government' आया है वहां-वहाँ शब्द 'Chancellor' रख दिया जाय। इसमें गलती से शब्द 'Governor' छप गया है। उसकी जगह मैं चाहता हूं कि 'Chancellor' रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मेरा यह संशोधन है वह इस प्रकार है। उसकी दो उपधारायें मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

"7. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a repreentative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry."

उपधारा तीन में भी State Government आया है। इस धारा का उपाध्यक्ष महोदय, मतलब यह है कि राज्य सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह यूनिवर्सिटी और उसके मामलों में जांच बैठाये। मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार के बजाय यह अधिकार चांसलर को दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह संशोधन रखता हूं तो मैं अपने दिमाग में इस मामले में बिलकुल स्पष्ट हूं कि चांसलर, हालांकि वह स्टेट का गवर्नर होता है और राज्य के मामलों में वह मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम करता है, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के मामले में भी राज्य सरकार या उसके मंत्रियों से सलाह ले। और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि जब हम चांसलर को अधिकार दें तो यूनिवर्सिटी को भी कोई इसके लिये एतराजन हो और फिर गवर्नमेंट को खामख्वाह इस ऐक्ट में इस किस्म का एक एडवांटेज दिया जाय कि वह यूनिवर्सिटी के मामलों में इंटरफिरेंस कर सके, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। और चांसलर महोदय अगर मुनासिब समझें तो इनक्वायरी करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी मानेगी क्योंकि वर्चुअली वही सब से बड़े आफिसर किसी यूनिवर्सिटी के हैं। बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि चांसलर शब्द रखने से क्या फायदा और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट सलाह देगी वही करेंगे और चांसलर चूंकि गवर्नर है ही। लेकिन यह हो सकता है कि हर चांसलर स्टेट गवर्नमेंट की राय पर न चले। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। स्वर्गीया सरोजिनी नायडू और श्री मोदी के जमाने की बातें ऐसी मौजूद हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चाहा और उन्होंने कहा कि मैं तो वाइस-चांसलर की राय से यूनिवर्सिटी के मामले में काम करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। जो कि वर्तमान चांसलर हैं, मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके बारे में कोई अच्छी राय कायम न कर सका। लेकिन हो सकता है कि दूसरा चांसलर आये और वह गवर्नमेंट की इच्छानुसार न चल सके। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बहुत ही मुनासिब होगा और उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय गुप्ता जी का ध्यान लखनऊ यूनीवर्सिटी ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें संशोधन हो रहा है। उसकी धारा ७ की उपधारायें (१), (२) इस प्रकार हैं :—

"7(1) The Governor-General shall be the visitor of the University ;

(2) The visitor shall have the right to cause an inspection ....."

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आप बहुत पुराना ऐक्ट पढ़ रहे हैं। सन् १९४७ के बाद सब बदल गया तथा 'प्राविन्शियल गवर्नमेंट' हो गया ट्रांजिटरी कानून के अनुसार।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपही ने मुझको यह दिया था सेलेक्ट कमेटी में और मैं नहीं समझता था कि माननीय गुप्त जी इस प्रकार गुमराह करते हैं मेम्बरों को। लेकिन मैं माननीय गुप्त जी का ध्यान देहली यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ९ की उपधारा (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"The Chancellor shall have a right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, equipment, etc. etc.,. ....."

और शब्दावली देहली यूनिवर्सिटी की वैसी ही है। मैं समझता हूं कि गुप्त जी को कोई एतराज नहीं होगा। कभी-कभी चांसलर अगर स्वतन्त्र हो तो यूनिवर्सिटी अटोनोमी की मदद मिल जायगी। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि गुप्त जी को इस शाब्दिक संशोधन में कोई एतराज खास न होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने उपस्थित किया है यदि मैं उसकी निरर्थकता को सदन के सामने रख दूं तो कदाचित वे स्वयं इस संशोधन को वापस ले लेंगे। प्राविन्शियल यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इस विधेयक में संशोधन के रूप में रखी जा रही है कोई नई चीज नहीं है। जितने विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद, देहली, मैंने देहली को नहीं देखा है, उन सबमें स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन कराने का अधिकार रखती है और वह अधिकार उसका होना भी चाहिये। जहां चांसलर एक कान्स्टीटचूशनल व्यक्ति के नाते कार्य करेगा तो वहां तो उसे मिनिस्ट्री की सलाह से काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने तो यह बराबर घोषित कर दिया है कि जो चांसलर है सिवाय उन फ़ाइनेन्शियल मैटर्स के जिनका सम्बन्ध स्टेट गवर्नमेंट से है, वह अपना निर्णय, जहां तक विश्वविद्यालय के इंटरनल विषयों का सम्बन्ध है, कर सकेगा। लेकिन अगर आज कोई चांसलर, जैसी कि हमारी धारणा है, उसके मातहत में काम करता है, यानी जो विश्वविद्यालय की इंटरनल चीजें हैं उनमें किसी विषय में जजमेंट रखता है, तो जो हमारा उत्तरदायित्व इस सदन के सामने है, उसे सरकार उस चांसलर के द्वारा पूरा नहीं करा सकती है। आप जानते हैं कि जहां तक लखनऊ विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, लखनऊ विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में से है कि जिसके तहत में एक ऐसी मेडिकल फ़ैकल्टी दे दी गई है कि जिस मेडिकल फ़ैकल्टी का इन्सान की रोजमर्रा की जिन्दगी से सम्बन्ध रहता है। इस देश में और कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर कि इस प्रकार की मेडिकल फ़ैकल्टी का ट्रांसफ़र, या उसके कालेज का ट्रांसफ़र विश्वविद्यालय के तहत में रखा गया हो। यहां पर रोजमर्रा सवाल उठा करता है इस मेडिकल कालेज और अस्पताल के सम्बन्ध में कि अमुक डाक्टर ने अमुक मरीज के साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया, अमुक डाक्टर के दोष की वजह से अमुक मरीज मर गया। इस तरह के प्रश्न इस सदन में बजट के समय कहे जाते हैं। तो अगर आप इस गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं देते हैं कि यदि ऐसी ही बहुत सी चीजें एक संस्था के बारे में बढ़ती जावें और यह सरकार उस संस्था के बारे में कोई इनक्वायरी इत्यादि न करा सके तो मैं पूछता हूं कि क्या यह सरकार अपने दायित्वों को निभा सकेगी? आप करोड़ों रुपया और लाखों रुपया विश्वविद्यालय को उन कार्यों की पूर्ति के लिये देते हैं जिनसे कि जनता के जीवन और मरण के विषय का सम्बन्ध है। अगर एक डाक्टर उसका ठीक तरह से कार्य नहीं करता है तो उसका जवाबदेह तो हमें और हमारे सहयोगियों को होना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें तो आपको यह अधिकार देना ही

पड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात वहां होती है तो उसकी जांच तो हम इनक्वायरी के द्वारा ही कर सकते हैं और उसी के बाद उसके बारे में कोई फ़ैसला कर सकते हैं। तो यदि आप यह अधिकार चांसलर को देना चाहते हैं और चांसलर को आप स्वतंत्र भी बना देना चाहते हैं कि वह सारे मामलात विश्वविद्यालय के स्वतंत्रतापूर्वक करे तो इन दोनों विचारधाराओं में कोई सामंजस्य नहीं है। यदि इस सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखने का आपका विचार है और मैं समझता हूं कि सारी चीजें जिनके विषय में आप कानून बनाते हैं उनके विषय में सबसे बड़ा अधिकार आपका है, तो आप यदि इस अधिकार को लेना नहीं चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं कि जिसका न रुपया देने से मतलब और न जो गड़बड़ होती है उससे मतलब, तो मैं नहीं समझता हूं कि कैसे आप इसके लिए उद्यत हैं और अगर आप उद्यत हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी जो इस सदन की है उसको निभाना नहीं चाहते हैं। वह जिम्मेदारी तो तभी आप निभा सकते हैं जब कि यह अधिकार आपको प्राप्त रहे। दूसरे यह कोई नया अधिकार भी नहीं है। यह अब तक भी प्राप्त है। विश्वविद्यालय, जैसा कि मैंने कहा, ३० या ३२ इस देश के अन्दर हैं और उन सबमें प्राविंशियल गवर्नमेंट को अधिकार प्राप्त है। फिर यह इनक्वायरी रोज नहीं होती है। जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके हिसाब से डेढ़ दो साल लग जायंगे, यदि गवर्नमेंट कोई इनक्वायरी कमेटी नियुक्त भी करती है। वह कितनी ही संस्थाओं के सामने जाती है और कहां कहां जाने के बाद फिर वह इनक्वायरी पूरी होगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो यह धारा रखी गई है इसमें कोई दोष है। इसलिए मैं माननीय त्रिपाठी जी से यह निवेदन करूंगा कि उनका जो संशोधन है वह समयानुकूल नहीं है और जो आवश्यकतायें हमारी हैं और जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करने वाला नहीं है। इसलिए वह उसे वापस ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय गुप्त जी ने यह कहा कि वह मेरे संशोधन की निरर्थकता सिद्ध कर देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं बड़े खुले दिमाग़ का व्यक्ति हूं और यदि माननीय गुप्त जी सिद्ध कर देते तो मैं उसे वापस ले लेता। लेकिन मैं कब कह रहा हूं कि अगर कोई धांधली हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट इनक्वायरी न करें। आखिर चांसलर है किसका? वह भी तो राज्य का गवर्नर ही है। गवर्नर ही तो चांसलर होगा। यही तो भूलभुलैया है इसमें, चांसलर तो उत्तर प्रदेश का गवर्नर ही होगा। गवर्नमेंट रखने में यह हो सकता है कि जो गलत गलत मामलों में शिकायतें हुआ करती हैं उनमें इनक्वायरी गवर्नमेंट कराने लगे, जैसा कि आजकल प्रायः होता है कि अगर मेडिकल कालेज के लोग माननीय मंत्री जी के सहयोगियों की सिफारिश न माने तो उनके खिलाफ इनक्वायरी हो सकती है। लेकिन मैं तो यह चाहता हूं कि अगर कोई शिकायतें स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं तो वह उनको चांसलर को रेफर करे और अगर वे शिकायतें उचित और उपयुक्त होंगी तो चांसलर इनक्वायरी नहीं करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। तो आज तो आप ही के चांसलर की बात है और गवर्नर को सरकार चांसलर बना रही है तो ऐसी सूरत में मेरे संशोधन को स्वीकार करने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? इनक्वायरी इन्स्टीटचूट कराने में तो चांसलर ठीक दिमाग से सोचेगा और उचित ढंग से कार्य करेगा। हर मामले में स्टेट गवर्नमेंट के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जहां तक परिवर्तनों का सवाल है तो बहुत से परिवर्तन संशोधनों में होते रहते हैं। और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जैसे दिल्ली में मैंने बतलाया, वैसे अलीगढ़ में और बनारस विश्वविद्यालय में भी चांसलर को अधिकार है और यह गवर्नमेंट के हित में अच्छा होगा, अगर मेरा संशोधन मान लिया जाता। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी से भी बरी हो जाती कि वह यूनिवर्सिटी की आटोनामी में इंटरफियर करती है। मैंने माननीय गुप्त जी के लिए इशारा भी किया था कि अगर कोई कमजोर चांसलर मिल गया तो वह केबिनेट की हां में हां मिलाने वाला होगा, तो इसमें कौन सी अनुचित बात मालूम होती है?

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इसलिये मैं तो उनकी इच्छाओं के बावजूद भी मजबूर हूं कि अपने संशोधन पर जोर दूं कि वह यूनिवर्सिटी की आटोनामी के हक़ में और राज्य सरकार के हक़ में है कि चांसलर के जरिये से इनक्वायरी करायी जाय, जो कि एक मध्यस्थ की हैसियत से राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में एक संतुलन कायम करके मामले की जांच करेगा या करायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 7 में जहां-जहां शब्द "State Government" आया है वहां शब्द "Chancellor" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७-क

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)--मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं:--

निम्नलिखित को नये खंड ७-क-के रूप में रख दिया जाय:--

७-क-मूल अधिनियम की धारा ८ में मद (4) तथा (5) के बीच में निम्नलिखित नयी मद (4-A) के रूप में रख दिया जाय--

"(4-A) The Dean of Students Welfare."

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को नये खंड ७-क के रूप में रख दिया जाय--

"७-क--मूल अधिनियम की धारा ८ में मद (4) तथा (5) के बीच में निम्नलिखित नयी मद (4-A) के रूप में रख दिया जाय --

"(4-A) The Dean of Students Welfare."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नया खंड ७-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

यू०पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ९ का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ९ में उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"८--मूल अधिनियम की धारा ९ में उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Chancellor shall be elected by all the registered graduates of the University in the manner prescribed by the statutes, and shall hold office for six years.'"

उपाध्यक्ष महोदय, पिछला जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था उसमें मैंने यह संशोधन रखा था कि चीफ जस्टिस को वाइसचांसलर बनाया जाय। लेकिन उस समय हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस को उचित नहीं है कि हम ऐसे मैदान में घसीट लें जो उनकी शान के खिलाफ हो। तो उस समय और अब भी मैं चाहता हूं कि यह जो संशोधित विधेयक है और जो पुराना ऐक्ट था उसमें यह व्यवस्था है कि गवर्नर यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। मैं समझता हूं कि यह जो पुरानी व्यवस्था है यह ब्रिटिशर्स की है। हो सकता है कि वह यूनिवर्सिटीज के ऊपर शासन का कंट्रोल चाहते हों। इसलिये वह गवर्नर को ही चांसलर रखते थे और प्रजा को मौका नहीं देते थे। उस समय जनतांत्रिक सरकार नहीं थी और वह जनता पर विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी देश पर शासन कर रही थी। लेकिन अब हमारे देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जब प्रजा के चुने हुये लोग राज्य में और केन्द्र में सरकार चला रहे हैं, वोटर्स शिक्षित भी हैं और अशिक्षित भी हैं और उन सब ने इनको वोट दिया है तो मैं चाहता हूं कि अब जो चांसलर हो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स द्वारा निर्वाचित हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक कारण यह है कि जो मौजूदा संशोधित विधेयक हमारे सामने है उसमें चांसलर की पावर्स और अधिकार बहुत बढ़ा दिये गये हैं। वहां पर फुल टाइम चांसलर रहेगा तभी आपको इस विधेयक की जस्टीफिकेशन मालूम होगी। अगर आप इस विधेयक को शुरू से आखिर तक गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इसमें चांसलर को पूर्ण शक्ति दी गयी है और कोई भी बाडी स्वतंत्र नहीं है। चांसलर आजकल के हिसाब से कांस्टीट्यूशनल हेड है और उसके लिये आवश्यक है कि सरकार से पूछकर काम करे। इस हिसाब से देखें तो सारांश में तो गवर्नर केवल एक टेक्निकल हेड रह जाता है यानी नाममात्र का एक ऐसा व्यक्ति रह जाता है कि उसके केवल हस्ताक्षर की आवश्यकता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि मिनिस्ट्री के खिलाफ कार्य कर सके। आजकल जो नीति है उसे देखा जाय तो पता लग जायगा कि गवर्नर की नियुक्ति पार्टी पोलिटिक्स पर ही हो रही है। बहुत से ऐसे चांसलर गवर्नर है, जो कि कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी को सचमुच में पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर रखना चाहते हैं और माननीय गुप्त जी चाहते भी हैं कि यूनिवर्सिटीज में पार्टी पोलिटिक्स की कोई बात न हो और वहां के अध्यापक और टीचर्स ही अपना-अपना कार्य करें और वहां राजनीतिक कोई चीज न हो तो ऐसी परिस्थिति में यह संशोधन आवश्यक हो जाता है कि गवर्नर जो पार्टी पोलिटिक्स का एक व्यक्ति है, जिसकी नियुक्ति इसी आधार पर हुई है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है कि गवर्नर यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिये। अगर देखा जाय तो गवर्नर को जो प्रजा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति है उनके कथनानुसार कार्य करना पड़ता है। तो फिर जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हों उन पर हम क्यों न विश्वास करें, क्योंकि वह तो और भी अच्छे हो जाते हैं क्योंकि सब शिक्षित होते हैं। हमने जो उनको शिक्षा दी है तो हम उनको ऐक्सपेरीमेंट के तौर पर चांस दें कि वह जिसका निर्वाचन करते हैं तो वह कैसा आदमी होता है। जब हमारी स्टेट का शासन जनता द्वारा चुने हुये व्यक्तियों से हो रहा है तो कोई बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्यों न ऐसा चांसलर हो जिसका निर्वाचन ग्रेजुएट्स ही करें। हमारे देश में जनतांत्रिक शासन है और समय की मांग है कि यह संशोधन स्वीकार होना चाहिये। हमें विद्यार्थियों पर विश्वास करना चाहिये बल्कि वह तो ग्रेजुएट्स हैं और आगे चलकर उनके हाथ में राज्य की बागडोर आने वाली है। माननीय मंत्री जी जैसा कि कहते थे शक्ति तो हमें बहुत दी गयी है, लेकिन हम उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, तो सचमुच अगर ऐसी बात है तो क्यों न ऐसा व्यक्ति रजिस्टर्ड ग्रेजुएट द्वारा चुना हुआ चांसलर हो, जो यूनिवर्सिटी का सारा कार्य देखे? और अब तो चांसलर की इतनी शक्ति बढ़ा दी गयी है कि जब तक इस प्रकार से एक आदमी इस कार्य के लिये नियुक्त नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि इस पोस्ट का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपकी आज्ञा से मैं राधाकृष्णन् कमीशन ने इस सम्बन्ध में जो कहा है उसकी केवल दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। पेज ४२१, पार्ट १ में उन्होंने कहा है :

"Where there are several Universities in one province the Governor himself may feel that he cannot give to all of them as much personal contact as

[श्री जोरावर वर्मा]

is desirable. This is a question which should be settled by each province for itself."

यह कमीशन की राय है। इस समय यहां पूरे स्टेट के प्रतिनिधि बैठे हुये हैं और मैं समझता हूं कि हमको यह तय कर लेना है कि सचमुच में जो गवर्नर है उसको जितना ध्यान यूनिवर्सिटी की ओर देना चाहिये उतना वह नहीं दे सकता। मैं तो अगर आपकी आज्ञा से यह कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में इस समय जो इतनी अनुशासनहीनता दिखलायी पड़ती है उसका अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो यही है कि चांसलर गवर्नर है, क्योंकि उनको इतनी शक्ति दी गयी है कि उसका दुरुपयोग वे लोग करते हैं जो उनके एवज में वहां पर कार्य करते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और ऐसी परिस्थिति में जबकि वह स्टेट का हेड होता है तो टीचर्स और स्टूडेन्ट्स का साहस भी नहीं हो सकता कि वे अपने स्टेट के हेड से यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कोई सुझाव दें या अपनी बातें उनके सामने रखें। उनके यहां पहुंचना ही बहुत कठिन है। आज जबकि इस प्रदेश और सारे देश का शासन जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है तो फिर यूनिवर्सिटी के शासन की बागडोर भी वहां के ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के हाथ में ही दें। अब मैं इतना सरकार में विश्वास करता हूं कि वह किस प्रकार से चुना जाय, उसकी क्या व्यवस्था हो, यह उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं, जैसी व्यवस्था वह चाहें वह स्टैट्यूट्स में निर्धारित करें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि जो संशोधन है यह प्रजातांत्रिक सिद्धांत के ऊपर निर्धारित है और इस समय की जो मांग है वह उसके अनुकूल है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसके द्वारा माननीय जोरावर वर्मा जी यह चाहते हैं कि चुनाव के जरिये से चांसलर की नियुक्ति हुआ करे। इस विधेयक पर जब जनरल डिस्कशन हुआ था उस समय भी यह प्रश्न उपस्थित किया गया था कि जहां तक हो सके यूनिवर्सिटी से चुनाव की प्रथा समाप्त कर दी जाय। इस प्रश्न पर दोनों तरफ से बहुत बहस हुई थी और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अब यह प्रश्न उपस्थित करना कि चांसलर भी चुनाव से नियुक्त हो बड़ा गम्भीर मालूम होता है। मैं समझता हूं कि यह सिद्धांत मान लिया गया है और यही उचित भी है कि विश्वविद्यालयों को चुनाव से अलग रखा जाय। चांसलर का अगर रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स से चुनाव कराते हैं तो इसके माने यह हुये कि जो सर्वोच्च अधिकारी विश्वविद्यालय का है वह भी चुनाव से नियुक्त किया जाय यानी जिस चीज से हम बचना चाहते हैं वह आरम्भ में ही लायी जाती है। आपके द्वारा मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं नरेन्द्रदेव कमेटी और राधाकृष्णन् कमेटी कई बार जिक्र कर चुकी हैं वे दोनों कमेटियां ठीक इसी निष्कर्ष पर पहुंची हैं, उनका यह सुझाव है कि जितने यूनिवर्सिटी के पद हैं वे चुनाव से अलग रखे जायं। उन्हीं नरेन्द्रदेव कमेटी और राधाकृष्णन् कमेटी के बारे में विरोधी पक्ष की तरफ से यूनिवर्सिटी विधेयक में जो संशोधन लाये गये हैं, उसी सिलसिले में कई बार जिक्र किया गया है, इस में दो एक और संशोधन ऐसे ही आये हैं। माननीय उपाध्याय जी का भी एक ऐसा ही संशोधन है और एक संशोधन और भी ऐसा ही है। मैं नहीं जानता कि वह उनको उपस्थित करना चाहते हैं या नहीं। वे सदस्य भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को वह वापस ले लें और जो विधेयक में रखा गया है "दि गवर्नर शैल बि दि चांसलर आफ दि लखनऊ यूनिवर्सिटी" उसे वैसा ही रहने दें। यह हमारा अनुरोध है। मैं समझता हूं कि इस पर और अधिक समय की बरबादी करना अनावश्यक है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि माननीय वर्मा जी हर समय यह सोचा करते हैं सोते-सोते कि कौन सा संशोधन दे दिया जाय। चाहे उसका कोई मतलब हो या न हो, निशाना चाहे लगे चाहे न लगे, गोली कहीं भी जाय, एक आवाज से मतलब है। मैं इसी संशोधन को लेना चाहता हूं जिसमें यह कहते हैं कि चांसलर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स द्वारा चुना जाना चाहिये जिससे कि विश्वविद्यालय में पार्टी पालिटिक्स न आये और उन्हें भ्रम भी है कि चांसलर यदि गवर्नर साहब भी होंगे तो एक राजनीतिक पार्टी के असर में रहेंगे। लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि चुनाव का रास्ता मान लिया जाय, जैसा कि यह कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के द्वारा चुनाव होना चाहिये, और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स माननीय वर्मा जी को चुन दें तो माननीय वर्मा जी वहां चांसलर हो गये।

श्री जोरावर वर्मा—मैं किसी पार्टी का नहीं हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल—तो कैसे पार्टी पालिटिक्स वहां से बच सकती है? मैं अभी अपने मित्रों से सलाह कर रहा था। कोई ऐसा जीव संसार में बताइये जो जिसको बनाता हो और आगे बढ़े, उसको ही खाता चले? जो यह संशोधन रखा गया है वह ठीक ऐसा ही है। जिस चीज को यह बनाता है उसी को बिगाड़ता हुआ चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस नीति और इस आदत को वह छोड़ दें कि कोई न कोई संशोधन देना लाजमी है। उस पर कुछ कह कर चाहे उसका कोई मतलब हो या न हो, जिस चीज को बनाना चाहते हैं, उसी को बिगाड़ते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे माननीय वर्मा जी यह चाहते हैं कि चांसलर चुनाव पद्धति से चुना जाय और हमारे गवर्नर महोदय उस पर मुकर्रर न किये जायं। जहां तक मैं समझता हूं जो दलीलें उन्होंने दी हैं वह दलीलें ऐसी नहीं हैं जिससे कि यह उचित समझा जाय कि चुनाव पद्धति चांसलर की नियुक्ति में रखी जाय। हमारे वर्मा जी चुनाव पद्धति की तारीफ में सिर्फ इतना ही कह सके कि आजकल प्रजातंत्र राज्य है और उसी पद्धति को हमें अपनाना चाहिये, लेकिन क्या उनको यह मालूम नहीं है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स क्यों वहां पर रहते हैं या बनाये जाते हैं? देखा यह गया है कि चुनाव ही के लिये बहुत से ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड किये जाते हैं, और कोई गरज उसकी नहीं होती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वह चीज भी खत्म हो जाती है। तो जिस चीज से वह बचना चाहते हैं यानी पार्टी पालिटिक्स, वही चीज सामने आती है। अपनी पार्टी के किसी आदमी को चुने जाने के लिये दुनिया भर की तरकीबें की जाती हैं, रुपया खर्च किया जाता है, ताकि किसी एक पार्टी का आदमी चुना जा सके। तो ऐसे हालत में जैसे ही चुनाव पद्धति रक्खी जाती है, वैसे ही पार्टी पोलिटिक्स आ जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर इसमें चुनाव रक्खा जाता है तो चांसलर का पद जो इतनी जिम्मेदारी का पद है, जिसके हाथ में इतनी भारी शक्ति है, उसके लिये जो राजनीतिक पार्टीज हैं वे अवश्य चुनाव के अखाड़े में आयेंगी। मैं तो यह समझता हूं कि चांसलर का चुनाव अगर रक्खा जाता है तो सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सभी लोग उस पद के लिये लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी के किसी आदमी को वे चुनवा सकें। तो ऐसी दशा में चुनाव की पद्धति कैसे ठीक हो सकती है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती? मैं तो यह समझता हूं कि जो पार्टी पालिटिक्स थोड़ी बहुत हमारे विश्वविद्यालयों में चलती हैं वह इतनी ज्यादा हैं कि इसी को कम होना चाहिये, लेकिन अगर कहीं चांसलर का चुनाव रक्खा जाय तब तो बड़ी मुश्किल हो जायगी और वहां की जो पार्टी पालिटिक्स है वह बढ़ जायेगी, और वहां के जो अध्यापकगण हैं वे इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

बात की कोशिश करेंगे कि उन्हीं का कोई आदमी चांसलर चुना जाय ताकि उनकी रक्षा ठीक से हो सके, और जो चाहें वह कर सकें, और उसके जरिये से जायज नाजायज फायदा उठा सकें तथा अपनी उन्नति जाती तौर पर कर सकें। बजाय इसके कि यह देखें कि कौन किस योग्य है ? ऐसी हालत में यह कहना कि चुनाव पद्धति इसके लिये ठीक होगी, मैं तो बिलकुल मुनासिब नहीं समझता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी ने राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि यह लिखा है कि जिस प्रदेश में कई यूनिवर्सिटियां हैं वहां गवर्नर का चांसलर रखा जाना कहां तक उचित है। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इसका यह मतलब लगाया कि गवर्नर केवल एक ही यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिये, दूसरी यूनीवर्सिटीज के लिये दूसरे आदमी नियुक्त होने चाहियें। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह चीज लिखी है कि असल में स्थिति को देखते हुये निर्णय करना है। अगर वहां के गवर्नर महोदय को इतना ज्यादा काम हो कि वे कई यूनिवर्सिटीज का कार्य नहीं संभाल सकते तब तो आप का यह कहना उचित था। लेकिन यहां के गवर्नर या यहां की स्टेट यह चीज महसूस नहीं करती और वह यह समझते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज का भार वे संभाल सकते हैं, तो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट यह मना नहीं करती कि जहां पर कई यूनिवर्सिटीज हों वहां पर गवर्नर महोदय को एक से अधिक यूनिवर्सिटी का कार्य अपने जिम्मे नहीं लेना चाहिये। बल्कि उनको स्वयं यह निर्णय करना है और जैसा मैंने अभी निवेदन किया इससे ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ़ आर्डर, क्या कोई सदस्य कान में पेंसिल भी लगा कर बोल सकता है ?

(हंसी)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—इस सिलसिले में मैं यह भी कह सकता हूं कि क्या यहां पर रंगीन टोपी लगायी जा सकती है ?

बहरहाल ऐसी हालत में, जो संशोधन इस सदन के सामने पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि यह बिलकुल उचित नहीं है। हमारी राधाकृष्णन् कमीशन, मूथम कमेटी की रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी के लिये जितनी कमेटियां बनायी गयी हैं हर एक में इस बात की सिफ़ारिश की गयी है कि चांसलर असल में गवर्नर महोदय को ही होना चाहिये। हमारा तजुर्बा भी यह बतलाता है कि गवर्नर महोदय के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में कोई ऐसी बात पैदा नहीं हुई है और उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है। तो इस तजुर्बे की बिना पर यह कह सकते हैं कि गवर्नर महोदय को ही चांसलर होना चाहिये और उसके लिये चुनाव पद्धति नहीं होनी चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं श्रीमन्, क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मिश्र जी ने यह कहा कि सभी कमीशनों की यह सिफ़ारिश है कि जो चुनाव की व्यवस्था है उसको खत्म कर देना चाहिये। यह ठीक है लेकिन वह कमीशन की वही बात मानते हैं जिससे उनका मतलब होता है। जहां पर उनके मतलब के खिलाफ रहता है, उसकी तरफ वह देखते भी नहीं हैं। यह पालिसी ठीक नहीं है कि 'मीठा मीठा गप्प और कड़ुवा कड़ुवा थू'। जब वह एक बात को मानते हैं तो दूसरी बात को भी मानना चाहिये। मैंने उनको

पढ़ कर सुनाया था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी को नामिनेट कर सकती है। अगर वह कमीशन की रिपोर्ट का आदर करते हैं तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा। विश्वविद्यालय में गवर्नर के अलावा अगर किसी भी आदमी को नामिनेट कर दिया जाय, तो मैं संशोधन को वापस ले लेता हूं। इसलिये कि आप यह चाहते हैं कि जो आप ने इसमें रखा है वही ठीक है।

मुझे हंसी आती है राम नारायण जी शुक्ल की बात को सुन कर जब उन्होंने यह कहा कि मुझसे तीर तो छूट जाता है चाहे वह किसी के लगे या न लगे। और मेरा तीर तो उनके ऊपर इतना ठीक बैठा कि उनको यह कहना पड़ा.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं। क्या कोई सदस्य इस प्रकार से पेंसिल उठा कर तीर की तरह इशारा कर सकता है?

श्री जोरावर वर्मा—चूंकि तीर मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिये मैंने इस पेंसिल का उपयोग किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने अपना संशोधन इसलिये उपस्थित किया कि आप उस तरह की बात मान लें। आप ने यह विधेयक सचमुच इसलिये प्रस्तुत किया है कि यूनिवर्सिटी की सारी शक्ति गवर्नर के हाथ में दे दी जाय। मेरा संशोधन वास्तव में उस चीज के मूल के लिये कुठाराघात है और गवर्नर को वहां से हटा दिया जायगा। जिस मतलब से मैंने अपना तीर छोड़ा था उसने शुक्ल जी के ऊपर पूरा असर किया और उसके असर होने पर मेरी बात का उनको विरोध करना पड़ा। यही मेरी सफलता का बहुत बड़ा प्रमाण है।

अगर देखा जाय तो गवर्नर भी पार्टी का आदमी होता है और वह भी पार्टी से चुनकर ही आता है। फिर हम भी तो यहां चुन कर आते हैं और अगर ग्रेजुएट्स चांसलर को चुनेंगे तो क्या ख़राबी होगी, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपने ग्रेजुएट्स पर भी विश्वास नहीं करना चाहते हैं। अपढ़ जनता के द्वारा जिनमें बहुत थोड़े शिक्षित हैं, उनके द्वारा निर्वाचित सरकार आज शासन चला रही है लेकिन ग्रैजुएट्स पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं! अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली को आप सफलीभूत बनाना चाहते हैं तो चांसलर महोदय का निर्वाचन ग्रेजुएट्स से होना चाहिये। यह बिल वास्तव में अप्रजातांत्रिक है क्योंकि गवर्नमेंट की शक्ति बहुत बढ़ा दी गई है। पहले गवर्नर चांसलर तो ज्यादा दखल यूनिवर्सिटी अफेयर्स में नहीं देते थे लेकिन अब पार्टी विशेष का गवर्नर होने से लड़कों के बिजली, पानी और पंखा तक के कनेक्शन कटवाये जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफ़सोस है कि मेरे मित्र वर्मा जी को गवर्नमेंट का पक्ष सुनने को नहीं मिला, क्योंकि शायद जोश में आकर उधर से क्लोजर मूव कर दिया गया था और न मिनिस्टर न पार्लियामेंटरी सक्रेटरी को बोलने को मिला। हमारे मित्र के संशोधन से गवर्नर चांसलर नहीं होंगे और वह इन्तख़ाब चाहते हैं। हमारे मित्र ने कहा कि यह सरकार ग्रैजुएट्स का विश्वास नहीं करती है। क्यों कहा, यह मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से अभी कुछ कहा ही नहीं गया था।

श्री जोरावर वर्मा—शर्मा जी ने कहा था।

श्री हुकुमसिंह—शर्मा जी गवर्नमेंट के मेम्बर नहीं हैं, पार्टी के हैं। गवर्नमेंट के मेम्बर वे होते हैं जो गवर्नमेंट में हों।

वर्मा जी हमारे ग्रेजुएट हैं और उनको आभास होता है कि यह तरमीम मानी नहीं जायगी, इसलिये कि वह समझते हैं कि वह ग्रैजुएट हैं ? उनका विश्वास नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है। विश्वास हम करते हैं, हम मानते हैं और सरकार जरूर मानेगी...

[श्री हुकुम सिंह]

और इस अविश्वास की भावना को हमारे मित्र दिल से निकाल दें। लेकिन इस तरमीम का असर बहुत खराब होगा। यह यूनिवर्सिटी के हक में नहीं होगी। उपाध्याय जी से हमें कोई मतलब नहीं है। वह उधर से जो भी आवाज हो जाय उसमें हां में हां मिला देंगे, युनिवर्सिटी की बातों से और उनसे क्या वास्ता? उनकी बातों में वर्मा जी को न आना चाहिये। उनको स्वयं समझना चाहिये कि गवर्नर जो चांसलर रहता है उसकी वजह से गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच एक मजबूत लिंक रहता है। बहुत सी बातें यूनिवर्सिटी में होती हैं, जैसे स्टेट्यूट्स वगैरा बनते हैं और जाने क्या-क्या बातें होती हैं, बहुत से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन्स होते हैं, अगर दूसरा कोई चांसलर हो तो बाहरी आदमियों की हां में हां मिलाकर कुछ भी कर सकता है। अगर कोई ऐसा चांसलर हो जाता है जो कि किसी पार्टी का नहीं है तो यहां इस सदन में उसकी कौन मदद करेगा? उसका क्या हश्र होगा क्योंकि दूसरी पार्टी के आदमी की बात को तो उस पार्टी के लिहाज से मान ही लेते हैं हालांकि दिल से कोई नहीं करता। इसलिये ऐसी बात क्यों करें जो खतरनाक हो। दूसरी बात इसके खिलाफ कोई बताई नहीं गयी। वर्मा जी शायद आंध्र के बारे में कह देंगे जहां एक वोट से हो गया, लेकिन क्या तमाम हिन्दुस्तान भर में कोई जगह भी वे बता सकते हैं जहां चांसलर गवर्नर न हो? बाम्बे में देखिये कितनी यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन वहां भी चांसलर गवर्नर है। कितनी जगह बताऊं? गवर्नर हर जगह हैं क्योंकि उनकी अहमियत है, उनकी वजह से यूनिवर्सिटी को सहायता मिलती है। राधाकृष्णन कमेटी ने ही नहीं, नरेन्द्रदेव जी ने भी लिखा है। (श्री नारायण दत्त तिवारी के मना करने पर) आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन समझने की कोशिश बिलकुल नहीं करते। उन्होंने लिखा कि गवर्नर होना चाहिये और यह उस जमाने में कहा जब कि यहां अंग्रेजों का दौर दौरा था। वे इतने समझदार हमारे देश के नेता हैं कि उनकी बात को हम आसानी के साथ छोड़ नहीं सकते। वर्मा जी इसे भी पढ़ें और अपने साथ में माननीय नारायण दत्त जी को भी बैठा लें और दोनों आदमी साथ-साथ पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि उनकी राय भी यही होगी। मौजूदा हालत में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर गवर्नर हैं, ऐसी सूरत में एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करना, जिसमें खतरा हो, तथा जिसमें पार्टीबन्दी की संभावना है, ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे भी आदमियों के होने की संभावना है जिनके होने से रोजमर्रा की कार्यवाही में अड़चन पड़ेगी, फिर ऐसी बात को अख्तियार क्यों करें? क्योंकि आप भी देश का कल्याण चाहते हैं और हम भी, इसलिये जो बात भी खराब होगी उससे आपको भी नुकसान होगा और हमें भी होगा। हम और आप दोनों ही वह बात चाहते हैं जिसमें देश का कल्याण हो। लेकिन ख्वाहिश हमारी भी और आपकी भी यही है। उसमें जितनी दिक्कतें पैदा होती जायंगी उससे आप भी दुखी होंगे और हम भी दुखी होंगे। आप भले ही जोश में आकर महसूस न करें और वर्मा जी की पार्टी बन्दी की वजह से ताईद कर दें लेकिन आप भी उसे महसूस करते हैं और समझते हैं कि असलियत क्या है। इसी वजह से सोशलिस्ट पार्टी के मित्रों में से एक ने भी खड़े होकर वर्मा जी की ताईद नहीं की और तुरन्त क्लोजर मूव कर दिया कि हटाओ ऐसे खुराफात की बातों में सदन का समय क्यों खराब किया जाय। अगर इधर से क्लोजर मूव किया जाता तो कहा जाता कि मेजारिटी ने बड़ा जुल्म किया, जैसा कि एक दिन वर्मा जी ने कहा भी था कि हमसे बेगार ली जाती है और स्पीकर साहब के कहने पर उनको ये शब्द वापस भी लेने पड़े थे। इसलिये मैं आपसे क्या कहूं, हम तो चाहते हैं कि हर मामले पर ठीक तरह से बहस हो, मगर इस तरफ के मित्रों को यह पसन्द नहीं आया और हमारे मित्र उपाध्याय जी ने यह समझा कि वर्मा जी की तरमीम में कोई असलियत नहीं है, इसमें कोई अहमियत नहीं है और इसमें केवल वक्त खराब किया जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने क्लोजर मूव भी कर दिया। मैं चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के ऐटिच्यूड से भी वर्मा जी समझ लें और अगर उनके अन्दर कोई गलतफहमी हो तो उसे निकाल दें कि उनकी इस तरमीम में कोई अहमियत नहीं है। इसलिये बराय मेहरबानी आप इसको वापस ले लें। मैं उनको क्या समझाऊं, वे तो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं

और उनको समझाने की कोशिश करने में कोई तत्व नहीं है। इसलिये मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस तरमीम द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से अफ़सोस होगा और पछतावा होगा कि ऐसी तरमीम मैंने क्यों उपस्थित की। लिहाजा मैं फिर दरख्वास्त करता हूं कि वे इसको वापस ले लें ताकि लोग कह सकें कि आखिर में सद्बुद्धि आ गयी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने एक यह गलतफहमी पैदा कर दी कि जो इधर के बैठने वाले हैं वे बहस में भाग नहीं लेना चाहते, माननीय उद्योग मंत्री जी का यह ख्याल गलत है। सरकार की तरफ से केवल ५ दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक के लिये रखा गया है और ५ दिन में जब कभी हमारी तरफ से कोई संशोधन आता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के मेम्बर ही अधिक संख्या में बोलने लगते हैं जिससे इस बात की आशंका है कि हमारे सभी संशोधन भी न आ पावें। इसलिये हमको मजबूर होकर बहस बन्द करने का प्रस्ताव रखना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"८—मूल अधिनियम की धारा ९ में उपधारा (१) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Chancellor shall be elected by all the registered graduates of the University in the manner prescribed by the statutes, and shall hold office for six years."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ दिसम्बर, १९५४

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८० पर।)

प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्रिका

स्टेज (stage)	ताजे वाला पर यमुना नदी में कुल पानी की मात्रा (क्यूसिक्स)	पश्चिमी यमुना न ा पानी में भाग	पूर्वी यमुना नहर का पानी में भाग	रिमार्क
१—५८९० तक		२/३×—४७	१/३×—योग ४७	
२—५८९० से ८७९० तक		×—२०१०	२०१०	पश्चिमी यमुना नहर अधिक लेती है।
३—८७९० से ९२८० तक		६७८०	×—६७८०	पूर्वी यमुना नहर अधिक लेती है।
४—९२८० से १०९०० तक		×—२५००	२५००	पश्चिमी यमुना नहर अधिक लेती है।

जब नदी में पानी १०,९०० क्यूसिक्स से अधिक हो तो पंजाब तथा उत्तर प्रदेश को १०,९०० क्यूसिक्स से ऊपर २:१ के अनुपात में अधिक पानी को लेने का अधिकार है।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर।)

विधायक निवास में नियुक्त किये गये मौजूदा कर्मचारियों का नक्शा

	स्थायी	अस्थायी	कुल जोड़
१—सुपीरियर। अवधाता	४	—	४
टेलीफ़ोन आपरेटर	—	४	४
२—निम्नश्रेणी—			
टेलीफ़ोन अटेंडेंट्स	६	४	१०
चौकीदार	८	४	१२
माली	१	१	२
माली मजदूर	३	३	६
भिश्ती	३	३	६
मेहतर	८	७	१५
फ़र्राश	३१	१९	५०
बढ़ई	—	१	१
हेड माली	—	१	१
चपरासी	३	—	३
लिफ्ट मैन	—	४	४
कुल जोड़ सुपीरियर	४	४	८
कुल जोड़ निम्नश्रेणी	६३	४७	११०
	६७	५१	११८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर।)

विवरण पत्रिका

तहसील	क्षेत्रफल	कृषि की गई भूमि	सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि		
			नहर	नलकूप	योग
मुरादाबाद	१९०,८०८	१४३,२१०	८१६	३,८३७	४,६५३
हसनपुर	३६४,४६०	२३५,९९०		१८,३६०	१८,३६०
अमरोहा	२४५,५७३	२०६,२४४	२२,६५७	४३,२३३	६५,८९०
सम्भल	३००,०५०	२६२,७८६		७१,६२५	७१,६२५
बिलारी	२१३,०८८	१८६,६५६	१०	६४,९६२	६४,९७२
ठाकुरद्वारा	१५३,६३१	११५,३३८			
कुल योग ..	१,४६७,६१०	१,१५०,२२४	२३,४८३	२०२,०१७	२२५,५००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर।)

तालिका

१९४७ के पश्चात् निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई नई सड़कें

सड़क	वर्गीकरण	लम्बाई
१—बिल्थरा–सिकन्दरपुर	प्रा० हा० वे०	१४ १/४ मील
२—मधुबन–बिल्थरा	एम० डी० आर०	५ १/४ मील

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० पस० यू० पी० ए० पी० २५५ एल० ए०—१९५५—८०० ।